सेठिया जैनग्रन्थालय पुस्तक नं० १५

ॐ

श्रीवीतरागाय नमः

ज्ञान-माला नं० १

संग्रहकर्ता—

...दजी तत्पुत्र भैरोदानजी तत्पुत्र
ज्ञानपाल सेठिया।
बीकानेर निवासी।

GAINPAL SETHIA,
MOHOLLA MAROTIAN,
BIKANER, *Rajputana*
J B Ry

मूल्य शुभ लाभार्थम्
डाक खरचा
प्रति ४०००

वीर सवत् २४४९
विक्रम सवत् १९८०
ई० सन १९२३

सूचना

पत्र व्यवहार नीचे लिखे पतेसे करें और अपना ठिकाना (पता) नागरी (हिन्दी) अंग्रेजी दोनों अक्षरोंमें साफ साफ पूरा लिखें, ग्रामका नाम पोस्ट आफिस तथा जिला अंग्रेजीमें साफ हर्फों में लिखें और डाक खर्चके लिये टिकिट पहिले भेजें ।

इस पुस्तकमें कोई शब्द काना मात्रा आदि दृष्टि दोषसे अशुद्ध रह गया हो या सूत्रसे विपरीत आगया हो तो सज्जन सुधारकर वाचें और हमें सूचना करें जो कि आइन्दा शुद्ध छपे ।

अगरचन्द भैरोदान सेठिया,
'जैन ग्रन्थालय'
बीकानेर (राजपूताना)

स्वर—

अ आ इ ई

उ ऊ ऋ ॠ

ऌ ॡ ए ऐ

ओ औ अं अः

व्यञ्जन—

क ख ग घ ङ
च छ ज झ ञ
ट ठ ड ढ ण
त थ द ध न
प फ ब भ म
य र ल व
श ष स ह
क्ष त्र ज्ञ

स्वरोंकी पहिचान—

अ इ ओ उ ऋ अं ए आ
औ ऊ लृ ऐ अः ई लॄ ॠ

—❀—

व्यञ्जनोंकी पहिचान—

च ट ड प य ह र ल
ख म थ ढ द ण न ग
ङ श फ ठ क घ ध
ञ त ब व भ ष
स त्त ज्ञ झ
त्र ज क्ष

—❀—

॥ बारहखड़ी ॥

क का कि की कु कू के कै को कौ कं कः

संयुक्त अक्षर—

ङ्क ङ्ख ङ्ग ङ्घ ञ्च ञ्छ ञ्ज ञ्झ न्त्र
ण्ट ण्ठ ण्ड ण्ढ न्त ङ्य म्न हु न्न
ध्य ह्ल म्प म्फ म्ब म्भ म्म स्न ज्व
स्क स्ख द्ग द्ध द्व श्च ष्ट ष्ठ ष्ण
स्त स्थ द्द द्ध न्ह स्प स्फ द्य च्य
क्ष च्च च्छ ज्ञ द्द ट्ठ ड्ड ग्व त्व
कु गु घु चु छु झु यु फु बु
कृ गृ तृ पृ सृ हृ शृ वृ मृ
क्र ग्र घ्र ज्र ड्र प्र ब्र न्र म्र
क्त ग्न घ्न ल्ल ध्न प्न म्न त्त ह्य
कू भू मू नू रू वू सू तू शू
के गे ते दे से रे ले वे हे
क ख ग ज फ

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
२	४	६	८	१०	१२	१४	१६	१८	२०
३	६	९	१२	१५	१८	२१	२४	२७	३०
४	८	१२	१६	२०	२४	२८	३२	३६	४०
५	१०	१५	२०	२५	३०	३५	४०	४५	५०
६	१२	१८	२४	३०	३६	४२	४८	५४	६०
७	१४	२१	२८	३५	४२	४९	५६	६३	७०
८	१६	२४	३२	४०	४८	५६	६४	७२	८०
९	१८	२७	३६	४५	५४	६३	७२	८१	९०
१०	२०	३०	४०	५०	६०	७०	८०	९०	१००

पहाड़ा—

११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०
२२	२४	२६	२८	३०	३२	३४	३६	३८	४०
३३	३६	३९	४२	४५	४८	५१	५४	५७	६०
४४	४८	५२	५६	६०	६४	६८	७२	७६	८०
५५	६०	६५	७०	७५	८०	८५	९०	९५	१००
६६	७२	७८	८४	९०	९६	१०२	१०८	११४	१२०
७७	८४	९१	९८	१०५	११२	११९	१२६	१३३	१४०
८८	९६	१०४	११२	१२०	१२८	१३६	१४४	१५२	१६०
९९	१०८	११७	१२६	१३५	१४४	१५३	१६२	१७१	१८०
११०	१२०	१३०	१४०	१५०	१६०	१७०	१८०	१९०	२००

२१	२२	२३	२४	२५	२६	२७	२८	२९	३०
४२	४४	४६	४८	५०	५२	५४	५६	५८	६०
६३	६६	६९	७२	७५	७८	८१	८४	८७	९०
८४	८८	९२	९६	१००	१०४	१०८	११२	११६	१२०
१०५	११०	११५	१२०	१२५	१३०	१३५	१४०	१४५	१५०
१२६	१३२	१३८	१४४	१५०	१५६	१६२	१६८	१७४	१८०
१४७	१५४	१६१	१६८	१७५	१८२	१८९	१९६	२०३	२१०
१६८	१७६	१८४	१९२	२००	२०८	२१६	२२४	२३२	२४०
१८९	१९८	२०७	२१६	२२५	२३४	२४३	२५२	२६१	२७०
२१०	२२०	२३०	२४०	२५०	२६०	२७०	२८०	२९०	३००

पहाड़ा—

३१	३२	३३	३४	३५	३६	३७	३८	३९	४०
६२	६४	६६	६८	७०	७२	७४	७६	७८	८०
९३	९६	९९	१०२	१०५	१०८	१११	११४	११७	१२०
१२४	१२८	१३२	१३६	१४०	१४४	१४८	१५२	१५६	१६०
१५५	१६०	१६५	१७०	१७५	१८०	१८५	१९०	१९५	२००
१८६	१९२	१९८	२०४	२१०	२१६	२२२	२२८	२३४	२४०
२१७	२२४	२३१	२३८	२४५	२५२	२५९	२६६	२७३	२८०
२४८	२५६	२६४	२७२	२८०	२८८	२९६	३०४	३१२	३२०
२७९	२८८	२९७	३०६	३१५	३२४	३३३	३४२	३५१	३६०
३१०	३२०	३३०	३४०	३५०	३६०	३७०	३८०	३९०	४००

बारह महिनेका नाम—

हिन्दी	अगरेजी—
१ चैत्र	January 31 days जनवरी
२ वैशाख	February 28 ,, फरवरी
३ ज्येष्ठ	March 31 ,, मार्च
४ आषाढ़	April 30 ,, अपरेल
५ श्रावण	May 31 ,, मई
६ भाद्रवा	June 30 ,, जून
७ आसोज (कवार)	July 31 ,, जुलाई
८ कार्त्तिक	August 31 ,, अगस्ट
९ मागशिर (अगहन)	September 30 ,, सेपटम्बर
१० पौष	October 31 ,, अकटोयर
११ माघ	November 30 ,, नवेम्बर
१२ फाल्गुन	December31days डीसमबर

— ❀ —

—सात वार के नाम—

हिन्दी—	अंगरेजी—		
१ रविवार (आदित्यवार)	1	Sunday	सन डे
२ सोमवार	2	Monday	मन डे
३ मंगलवार (भोमवार)	3	Tuesday	ट्यु स डे
४ बुधवार	4	Wednesday	वेडनेस डे
५ गुरुवार (बृहस्पतिवार)	5	Thursday	थर्स डे
६ शुक्रवार	6	Friday	फ्राइ डे
७ शनिवार	7	Saturday	सैटर डे

॥ अथ एक डोकरीकी वात ॥

एक दिन राजा भोज और माघ पंडित शहरसे थोड़े दूरपर एक वाग था वहा गये, वहांसे वापीस आते वख्त रास्ता भूल गये। जव राजा भोज कहने लगा कि सुणो माघपडित ? अपने रास्ता भूले है, तव माघ पंडित कहने लगा सुणो पृथ्वीनाथ ? एक डोकरी गहुंरो खेत रुखालती हे, उसको पूछने ठीक करो। तव दोनों असवार चलकर डोकरीके पास आये। दोनों जणा आयने डोकरीसे राम राम किया। डोकरी कहे आवो भाई राम राम। फिर डाकरी वोली भाई आप कौन हो ? वाई हम तो वटाउ हैं। वटाउ तो दो एक सूर्य दूजा चद्रमा, इसमें से कोन ? भाई सच्चे वोलो आप कौन ? वाई हम तो पाहुणा है। पाहुणा तो दो-एक धन, दूजा जोवन,

इसमेंसे कौन ? भाई सच्च बोलो आप कौन। बाई हम तो राजा है। राजा तो दो-एक चद्र राजा, दूजो यमराजा, इसमेंसे कौन ? भाई सच्च बोलो आप कौन ? बाई हम तो साधु है। साधु तो दो-एक शीलवंत, दूजा सतोषी, इसमेंसे कौन ? भाई सच्च बोलो आप कौन ? बाई हम तो निर्मल है। निर्मल तो दो एक साधु, दूजा पानी, इसमेंसे कौन ? भाई सच्च बोलो आप कौन ? बाई हम तो परदेशी है। परदेशी तो दो—एक जीव, दूजा पवन, इसमेंसे कौन ? भाई सच्च बोलो आप कौन ? बाई हम तो गरीव है। गरीव तो दो—एक बकरी रो जायो, दूजो मगतो, इसमेंसे कौन ?। भाई सच बोलो आप कौन ? बाई हम तो सफेद है। सफेद तो दो-एक बैल, दूजा कपास इसमेंसे कौन ? भाई सच्च बोलो आप कौन ? बाई हम तो चतुर है। चतुर तो दो-एक अन्न

दूजो जल, इसमेंसे कौन ?। भाई सच्च बोलो आप कौन ? वाइ हम तो हार्या। हार्या तो दो एक बेटीका बाप, दूजा करजदार, इसमेंसे कौन ?। अब डोकरी कहने लगी आप तो राजा भोज है, और यह माघ पंडित है। इतनी बात चित करके डोकरीको नमस्कार करके, असवार होकर अपने शहर आये।

॥ इति डोकरीकी बात ॥

— * —

॥ जीवदयापर दामन्नककी कथा ॥

(सिंदूर प्रकरणसे उद्धृत)

इस भारतक्षेत्रके गजपुर नगरमें सुनंद नामका एक कुलपुत्र रहता था, उस ही नगर में धर्मवन्त जिनदास भी रहता था। इन दोनोकी परस्पर बहुत प्रीति थी, एक दिन वह

दोनों मित्र वनमें गये, वहां बृहस्पति समान धर्माचार्यको देखकर नमस्कार किया। आचार्य ने दया मूल धर्मका उपदेश दिया, वह सुण-कर सुनंद गुरुको कहने लगा कि मैं मासभक्ष-णका पच्चक्खाण तो कर देउं, मगर मेरेसे मेरा कुलका आचार कैसे छोड़ा जाय? गुरुने कहा धर्मका आचार ही सच्चा समझना, धर्मके समय कोई भी आलवन नहीं करना। ऐसा सु-णाकर सुनंदने तुरत हो जीवदयाव्रत स्वीकार किया, मांसभक्षणका नियम लिया। सब जी-वोंको अपनी आत्मा तुल्य मानता हुआ सुखसे व्रत पालने लगा। ऐसे करते करते बहुत काल चला गया। एक समय बड़ा दुष्काल पड़ा, तब सब जगह अनाज तेज हो जानेसे पूरा भोजन मिलने नहीं लगा, ऐसा समय देखकर सुनंद की स्त्री कहने लगी कि हे स्वामिनाथ? अपना कुटुंबका पालन करनेके लिये मच्छी पकड़ कर ले

आओ तब सुनदने कहा कि हे पापिणी ! मेरे आगे ऐसी बात करनी नहीं, चाहे जैसा कष्ट प्राप्त होगा, तो भी मैं हिंसा करूंगा नहीं तब स्त्री ने कहा कि तू बड़ा निर्दय है कुटुम्बको दुःखी करनेसे लोक में अपयश होगा। ऐसा कह कर उसका साला जबरजस्ती से उसको मच्छी पकड़नके लिये ले गया। वहां जाकर पाणी में जाल डाला, उसमें जो मच्छी आई वह सब अपना व्रत पालनेके लिये वापीस पाणी में छोड़ दी, घर पर खाली हाथ से आयो। फिर दूसरे दिन स्त्रीकी प्रेरणासे गया, उस दिन भी वैसे ही मच्छी वापीस पाणी में रख कर खाली हाथे घर पर आया। फिर तीसरे दिन स्त्रीकी प्रेरणासे गया, वहा मच्छी पकड़ते एक मच्छी की पाख टूट गई, यह देख कर बड़ा दुःखीत होकर पश्चाताप करने लगा, पीछे सगा सम्बधियोंको कह कर अनशन किया और मरण पा कर, राजगृही

नगरीमें नरवर्मा राजा राज्य करते हैं वहा मणि-
श्चार नामका सेठ की सुयशा नामा स्त्री की कूख
में आकर पुत्र पणे उत्पन्न हुआ, उसका दाम
न्नक ऐसा नाम रक्खा। वह आठ वर्षका हूआ,
तब सेठके घर महामारी रोगका उपद्रव हुआ,
इससे घरके सब जने मरण पा गए, आयुष
योगसे एक दामन्नक हा जीता रह गया, और
राजाने उसके घर पर पोलास बैठा दी। दाम-
न्नक चुधातुर होता हुआ घर घर भीख मागने
लगा। एक दिन सागर सेठ नामका व्यवहा-
रीयाके वहा भिक्षा मागने गया, उस समय वह
व्यवहारीयाके घर पर साधु आहार वहेरनेको
आये थे, उसमें से एक बड़े साधुने सामुद्रिक
लक्षणसे देखकर "यह भिखारी इस सेठके
घरका मालिक होगा" ऐसी वाणी बोला। वह
सागर सेठने दीवालके आंतरे रहकर सूनली
इससे बड़ा दुखित होकर विचार करने लग

कि क्या यह भीखारी मेरा घरका मालिक होगा? अब उसको मैं कोई उपाय करके मराय डालूं, जिससे मेरी लक्ष्मी मेरा पुत्र पौत्रादिक भोगवे। ऐसा विचार कर कोई चाडालको वहुत द्रव्य देना स्वीकार कर कहा कि इस दामन्नकको मार डालना।

वह चडाल दामन्नकको लड्डू की लालच वतलाकर जगलमें ले गया, वहां उस गरीव बालक को देखकर चडाल मनमें विचारने लगा कि अरे? इस वालकने सेठका क्या अपराध किया होगा? जिससे सेठने मुझको मारनेकी आज्ञा दी। अहा। मेरा जैसा वड़ा दुष्ट पापी कौन होगा? कि द्रव्यकी लालचसे यह छोटा वालक को मारनेका स्वीकार करे। तो यह काम करना मेरेको योग्य नहीं है, ऐसा निश्चय विचारकर वालक को कहा कि हे मूर्ख? तूं यहासे भग जा जो तू यहा रहेगा तो तुझको

सागर सेठ मार डालेगा। ऐसा भय देखाया, जिससे दामन्नक भग गया। कहा है कि संसार में जीवन सबको प्रिय लगता है। चांडालने दामन्नककी आंगली काटकर नीसानी लेजाकर सेठको बतला दी। दामन्नक भी लोहीसे झरती हुई आगली, वहासे भगता हुआ सागरसेठके ही गोकुलमें गया। कर्म योगे वहा नद गोकुलपति अपुत्रीया था, उसने अपने घर पुत्र समान रक्खा। दामन्नक वहा आनदसे रहता हुआ यौवनावस्यामें आया और शूर-वीर हुआ।

एक दिन वह सागर सेठ अपना गोकुलमें आया वहा दामन्नकको देखकर नदगोकुलीयाको पूछने लगा कि यह कोन है ? वह जीतना वृतांत दामन्नकका जानता था सो कह दिया। यह सुनकर सेठ विचारने लगा कि कदाच साधुका वचन मिथ्या न हो ? एसा विचार कर

जैसा आया वैसा ही घर तर्फ जाने लगा, तब नंद गोकुल बोला कि आप इतना जल्दी वापीस कैसे जाते है ? सेठ ने कहा कि घरपर कार्य है। फिर नन्दगोकुलने कहा कि मेरा पुत्र को घर भेजो, वह आपका कार्य कर आजायगा, ऐसा सुनकर सेठने कागज लिख दामन्नकको दिया और कहा कियह कागज मेरा पुत्रको ही देना। दामन्नककागजलेकर वहांसे चला, रास्तामें थक जानेसे गामके नजदिक कामदेवका मदिरमें जाकर सो गया, उस समय सागर सेठकी ही विषा नामकी कन्या उसी हि कामदेवकी पूजा करनेको आई, उसने दामन्नकको निन्द लेता हुआ देखा, और अगरखीकी कससे बधा हुआ एक कागज देखा, वह खोलकर वांचने लगी; उसमें "स्वस्ति श्री गोकुलात् समुद्रदत्त योग्य सानद लिख्यते इस दामन्नकको आते ही शीघ्र विष देना, इसमें कुछ भी विचार करना

नहीं" ऐसा कागज वांचकर कन्याने विचार किया कि मेरा पिता कागज लिखते एक काना 'भूल गया है, जिससे 'विपा' मेरा नाम है, उस स्थान पर 'विप' देना ऐसा भूलसे लिखा गया है। ऐसा विचार कर आखका काजल काढ सलीसे काना देकर विपके स्थानपर विपा लिख दिया, और कागज वापीस उसकी कसमें वाध कर कन्या अपने घर आई ।

अब दामन्नक उठकर शहर तर्फ चलता चलता अनुक्रमसे सेठके घर पर आया और सेठके पुत्रको कागज दिया। उसने कागज वांचकर उसी समय बड़ा महोत्सव पूर्वक अपनी वहिन विपा उसको परणा दी। कितनेक दिनके वाद सागर सेठ भी गोकुलसे घर आया, तब यह वात सुनकर मनमें बड़ा दु.खी होकर विचार करने लगा कि मैंने क्या विचारा था और यहां क्या हुआ। अरे। मैंने लाभके

लिये मूल भी खो दिया। तो भी अवी कुछ उपाय तो करू कि वह दु.ख पावें, ऐसा विचार कर सेठ फिर भी चांडालके घर जाकर कहने लगा कि अरे पापी चांडाल ? यह तेंने क्या किया ? जो दामन्नकको जीवता छोड़ा। अस्तु, अवी भी जो मेरा इतना काम करे तो जीतना द्रव्य तं मांग इतना मैं देउगा। तब चांडाल बोला कि हे स्वामी ? आप कहो उसको मार कर आपकी इच्छा पूर्ण करु। तब सेठने सकेत किया कि संध्याके समय में जिसको देवीके मदिर भेजुं, उसको मार डालना, ऐसा कहकर अपने घरपर आ सेठ कहने लगा कि अरे मूर्खों ? अवी तक तुमने देवीकी पूजा नहीं की ? सब काम तो देवी पूजन करने बाद ही होता है, यह कहकर पुष्पादि पूजन की सामग्री देकर देवी पूजनके लिये संध्या समय अपना जमाईको भेजा। उसको जाते वक्त

रास्तामें उसका साला मिला, उसने अपना बहनोहीको वहां खड़ा रख कर बोला कि यह काम मैं कर आउगा ऐसा कह कर स्वय पूजन की सामग्री लेकर देवी पूजनको चला, वह जैसा मदिरमें प्रवेश करते है इतनेमें तो उस चांडालने तरवारसे मार डाला। उस समय वड़ा कोलाहल हुआ कि यह सेठका पुत्र मारा गया। यह बात सुनकर सेठ जाकर देखते है तो अपना ही पुत्रको देखा उससे वड़ा दुखी होकर विलाप करने लगा, और पुत्रका दु:खसे दु खी होकर मर गया। पीछे राजाका आदेशसे दामन्नक सेठके घरका मालिक वना और पूर्वकृत पुण्यसे वड़ा लक्ष्मीवाला हुआ, सात पुण्य क्षेत्रमें धन खर्च करता हुआ, त्रिवर्ग (धर्म अर्थ, काम) को साधन करता हुआ सुख पूर्वक रहने लगा।

एक दिन कोई एक भाटने आ कर दाम-

न्नकके आगे एक गाथा बोला, वह इस मुजब "तस्स न हवइ दुक्ख, कयावि जस्सत्थि निम्मल पुराण। अराणघरत्थ दघ, भुंजइ अराणो जणो जेण" । १॥ भावार्थ—"जिसका अच्छा निर्मल पुन्य है उसको कुछ भी दुःख होना नहीं है, और दूसरे घरकी लक्ष्मीको भी भोगवते हैं' इत्यादि यह गाथा सुनकर दामन्नकने उस भाटको तीन लाख द्रव्य दिया, वह देखकर लोकोंमें बड़ी ईर्षा हुई, तब राजाने उसको बोलाय कर पूछा कि इतना बड़ा दान तेंने क्यों दिया ? तब राजा आगे अपनी सब बातकी उत्पत्ति थी सो कह दी। वह सुनकर राजाने दामन्नकको नगर सेठ बनाया, अनुक्रमसे दामन्नक अच्छी तरह दयाधर्म आराधन कर देवलोकमें गया।

इस मुआफिक हे भव्य जनो ? दया धर्मका बड़ा महत्व देखकर दामन्नककी तरह दया

दान दो जिनसे सुखश्रेय पावो ॥

इति जीवदयापर दामभककी कथा ।

अथ ज्ञान–चोपड़ लिख्यते ।

(राग सोरठा)

अरे म्हारा प्राणीया चतुरनर, इनविधि चोपड खेल रे ॥ अरे० ॥ ए टेक॥ अशुभ करम मल झाड़के चतुरनर, जाजम कर वैराग रे । बड़ीय बिछायत बैठज्यो चतुरनर, जठे नहीं कुमतको लाग रे ॥ अरे० ॥ १ ॥ दान शील तप भावना चतुरनड, चोपड एह पसार रे । आठ दाव इक बोलमें चतुरनर, आठुं करम निवार रे॥ अरे० ॥ २ ॥ देवगुरु शास्त्र तीनूं भला चतुरनर, पाशा एही जाणरे । अवसर कर हाथे लिया चतुरनर, उज्वल लेश्या आण रे ॥

अरे० ॥ ३ ॥ दर्शन ज्ञान चारित्र भला चतुनर, तीनूं गुपति विचार रे। सात तत्व हिरदे धरो चतुरनर, ए सब सोला सार रे॥ अरे० ॥ ४ ॥ पड्या अठारे रहण दे चतुरनर, पोबारा व्रत धार रे। दश लक्षण दश धर्म है चतुरनर, हितकर हिये विचार रे॥ अरे० ॥ ५ ॥ षट्-काया छकड़ी पड़ी चतुरनर, हिरदे दया विचार रे। पुन्य उदय पजड़ी पड़ी चतुरनर, पंच-महाव्रत धार रे॥ ६ ॥ च्यार तीन काणा पड्यां चतुरनर, सातुंइं व्यसन निवार रे। जे दुरगति दायक सही चतुरनर, वधे अनत संसार रे॥ अरे० ॥ ७ ॥ चौहुं गति बाजी लग रही चतुरनर, दुख सह्यां भरपुर रे। करम कटे सुख उपजे चतुरनर, रतन सागर कहै सुर रे॥ अरे म्हारा प्राणीया० ॥८॥

॥ इति ज्ञान—चोपड समाप्तम् ॥

—०—

॥ अथ ज्ञान—सराफी लिख्यते ॥

साधो भाई अब हम कीनी ज्ञान सराफी जगमें प्रगट कहाये ॥ साधो० ॥ भव अनेक गये-सब तजके, उत्तम कुलमें आये ॥ साधो० ॥ १ ॥ समकित हाट करी अतिनीकी, समता टाट बिछायो। क्षमा गद्दी चढकर बैठे, तकिया शील लगाया ॥ साधो० ॥ २ ॥ तप मुनीम बैठे अति उत्तम, संजम पारख राख्या। धीरज विप्र तगादे भेज्या, सत्त दलाल ज्युं भाष्यो ॥ साधो० ॥ ३ ॥ शुद्ध भाव कीनी वट-वारी, कांटा शुभ रुच धारा॥द्रढ वैराग्यका किया तोला, पाप तोला किया न्यारा ॥ साधो०॥ ४ ॥ श्रीभजन किया रुजनामा, करुणा वही बनाई। जिनवर भक्तिकी रोकड़ राखी, धर्म ध्यान वद-लाई॥ साधो० ॥५॥ गुरु उपदेशका किया अडेवा

दीसै जमा सवाई। सेढ़ ऐसा विणज करत है, मुक्ति महानिधि पाई ॥ साधो० ॥ ६ ॥

॥ इति ज्ञान—सराफी समाप्तम् ॥

॥ अथ सुहित शिक्षा ढाल लिख्यते ॥

(लुम्बारी डोरी एदेशी)

मीठी अमृत सारखी, सत्पुरुषारी वाणी। सुणता हो जय जय कार, वारी हो हित शिक्षा बडारी ॥ १ ॥ क्रोधादिकषाय तजो, सत्पुरुषारी वाणी। तजो वलि विषय विकार, वारी हो हित शिक्षा बडारी ॥ सगत करो विद्वान री, सत्पुरुषारी वाणी। भली हो शीख हिये धार, वारी हो हित शिक्षा बडारी ॥ ३ ॥ पांचो इन्द्रिय वश करो, सत्पुरुषारी वाणी। तजो वलि कुव्यसन सात, वारी हो हित शिक्षा बडारी ॥ ४ ॥

शीख धारो सुसाधुरी, सत्पुरुषारी वाणी । मिटै हो मिथ्यात अधकार वारी हो हित शिक्षा वडांरी ॥ ५ ॥ मन वच काया वश करो, सत्पुषांरी वाणी । ध्यावो जी निर्मल ध्यान, वारी हो हित शिक्षा वडांरी ॥ ६ ॥ सेवा करो सुगुरु तणी, सत्पुरुषांरी वाणी । करो हो सरदहणा सुद्ध, वारी हो हित शिक्षा वडारी ॥ ७ ॥ व्रत पच्चक्खाण धारो सदा, सत्पुरुषारी वाणी । ओलखो नवतत्व सार, वारी हो हित शिक्षा वडारी ॥ ८ ॥ सुसद्गुरु सुख दायनी, सत्पुरुषांरी वाणी । ए छै हो हित सुखकार, वारी हो हित शिक्षा वडारी ॥ ९ ॥ भली भावो भावना सत्पुरुषारी वाणी । वलि देओ सुपात्र दान, वारी हो हित शिक्षा वडारी ॥ १० ॥ दान शीयल तप भावना, सत्पुरुषारी वाणी । शिव पुर हो मारग चार, वारी हो हित शिक्षा वडांरी ॥ ११ ॥ आज्ञा मानो भगवत री, सत्पु

रुपारी वाणी । मत करो कु गुरुको सग, वारी हो हित शिन्चा वडांरी ॥ १२ ॥ सुशिन्चा हित-कारनी, सत्पुरुपांरी वाणी । उपजै हो सुख अपार, वारी हो हित शिन्चा वडांरी ॥ १३ ॥ चारित्र धर्म आदरो, सत्पुरुपारी वाणी । साधो मुक्ति रो पथ, वारी हो हित शिन्चा वडांरी ॥ १४ ॥ हिसा टालो छकायनी, सत्पुरुपांरी वाणी । दया हो घटमें आण, वारी हो हित शिन्चा वडांरी ॥ १५ ॥ विनय करो वड़ा तणो, सत्पुरुपांरी वाणी । बधे सुबुद्धि विज्ञान, वारी हो हित शिन्चा वडांरी ॥ १६ ॥ भाव चारित्र हृदय भावो, सत्पुरुषांरी वाणी । मत सेवो हो पाप अठार, वारो हो हित शिन्चा वडांरी ॥ १७ जैन धर्म सुरतरु समो, सत्पुरुपांरी वाणी । जेहनी है शीतल छाय, वारी हो हित शिन्चा वडांरी ॥ १८ ॥ जैन धर्म शुद्ध सेवता, सत्पुरु-पांरी वाणी । तिरिया हो जीव अनत, वारो हो

हित शिक्षा वडांरी ॥ १६ ॥ साल उन्नीसे गुनोयासीये सत्पुरुषांरी वाणी । गाई आ ढाल रसाल, वारी हो हित शिक्षा वडांरी ॥ २० ॥ ज्ञानपाल आनदमें, सत्पुरुषारी वाणी । बीकाणे हो शहर मझार, वारी हो हित शिक्षा वडांरी ॥ २१ ॥

॥ इति सुहित शिक्षा ढाल समाप्तम् ॥

॥ ज्ञान चोवीसी ॥

(दोहा)

सूता, बैठता, उठता, जो समरे अरिहत ।
दु:खीयाका दुःख काटसे, लहेशे सुख अनत ।१।
अरिहंत अरिहत समरता, मिले मुक्तिका धाम ।
जे नर अरिहंत समरसे, तेहना सरसे काम ।२।
ज्ञान समो कोई धन नहीं, समता समो नहीं सुख ।
जीवित सम आशा नहीं, लोभ समो नहीं दुख ।३।

गुरु दीपक गुरु देवता, गुरु विना घोर अंधार ।
जे गुरुवाणी न सुणे, रडवडीया संसार ॥ ४ ॥
रे जीव ? पाप न कीजिये, अलग रहीये आप ।
जे करसे ते पामसे, कौन बेटा कौन बाप ॥ ५॥
जाणया तो उसने सच्चा, मोहमें न लेपाय ।
सुख दु ख आवे जीवने, हर्ष शोच नहीं थाय ॥६॥
चिन्तासे चतुराई घटे, घटे रूप गुण ज्ञान ।
चिन्ता बड़ी अभागणी, चिन्ता चिता समान ।७।
देवगुरु दोनु खड़ा, किसकु लागु पाय ।
बलिहारि मेरा गुरु तणी, देव दिया ओलखाय ।८।
दु.खमें प्रभुको भजे, सुखमें भजे न कोय ।
जोसुखमें प्रभुको भजे, तोदुख कहांसे होय ॥६॥
साधु सबसे सुखीया, दुःख नहीं लवलेश ।
आठ कर्मको जीतवा, पहेर्यो साधुनो वेश ॥१०॥
स्वामीका सगपण समो, सगपण और नहीं कोय
भक्ति करो स्वामी तणी, समकित निर्मल होय।११
पाचुं इन्द्रिय वश करे, पाले पञ्च आचार ।

पाच सुमते सुमता रहे, वांदु तेह अणगार ।१२।
स्त्री पीयर नर सासरे, सजमवान थिर वास ।
ए लागे अलखामणा, जो रहे थिर वास ॥ १३॥
वहेता पाणी निर्मला, पड़ा गन्धिला होय ।
साधु विचरता भला, दाघ न लागे कोय ॥ १४॥
लोभे लाज घटे घणी, लोभे प्रभू प्रतिकूल ।
लोभे लक्षण जाय छे, लोभ पाप नुं मूल ॥१५॥
अशुभ कर्मके हरण कु, मन्त्र वड़ो नवकार ।
वाणी द्वादश अगसे, शुद्ध लेओ तत्वसार ॥१६॥
चलते थे प्रभु मिलन कुं, वीचमें घेर्यो आण ।
एक कञ्चन दूजी कामिनी, कैसे होय कल्याण ।१७
चलनो भलो न कोशको, वेटी भली न एक ।
देणो भलो न सगा वापको, जो राखे प्रभु टेक ।१८।
मनुष्य जाणे मैं करूं, पिण करता दूजा कोय ।
शरू किया पड़ा रहे, कर्म करे सो होय ॥ १९ ॥
शामल । वो नर मूढ़ है, घीसे चामसे चाम ।
साचा कामी सो ही ये, करे आतमहित काम।१८।

उठ कबीर ? उद्यम करे, बैठे देगा कौन ।
उद्यमके शीर लच्छमी, ज्युं पखेसे पौन ॥ २१॥
जिहां संवर तिहा निर्जरा, जहा आश्रव तिहां बध
ऐसी वात विवेककी, अवर सव है धध ॥ २२॥
चमा सार चदन रसे, सींचो चित्त पवित्र ।
दया वेल मडप तले, रहो लहो सुख मित्र ॥२३॥
जव जिसके पुण्यका, पहोंचे नहीं करार ।
तव लग उसको माफ है, अवगुन करे हजार ।२४।

—०—

मूर्ख क्या करे (छप्पय छंद)

बुद्धि विन करे वेपार, दृष्टि विन नाव चलावे ।
सुर विन गावे गीत, गर्थ विण नाच नचावे ।
मति विन जाय विदेश, गुण विन चतुर कहावे
सूर विन करता युद्ध, हौंस विन हेत जणावे ।
अन इच्छा इच्छा करे, अण दीठी वातो कहे ।
वैताल कहे सुण विक्रम, ओ मूरखकी जात है ।

बुरा क्या ?

बुरो प्रीतको पथ, बुरो जङ्गलको वासो।
बुरो कुमित्र स्नेह, बुरो मूरखको हासो।
बुरी सूमकी सेव, बुरो भगिनी घेर भाई।
बुरी नार कुलच्छणी, सासु घर बूरो जवाई।
अति बुरी पेटकी भूख है, बुरा मुहूर्त्तमें भागना
करीने सुविचार सुकवि कहे, सबसे बुरो मागनो

लौकिक कहानी।

केसर तो कास्मीरे री, मोती तो वसेरा (समुद्र) का,
मेवो काबूल रो, चम्पो तो आबु को,
जोवडी तो जेसलमेररी, पांख तो मोररी,
मिश्री तो बीकानेर री, अंतरदान ढाके रो,
कारिगिरी चीनरी, दूध तो गौरो,
गुदडी कीशनगढ़ री, सालजोड़ो काश्मीर रो,
गलीचा मीरजापुररा, फूल तो गुलाबरा,
गढ़तो चीतोड़ रो, रङ्ग तो मजीठरो,

पान तो नागर वेलरा, काष्ट तो चन्दण,
फल तो नारियेलरा, विद्या तोकाशीरो,
जीमणो तो मातारे हाथरो, रमत तो वालकरी,
हुकुम हाकमरो, घरतो लुगायांरो,
आख तो मृगरो, गर्जना तो मेघरी,
चाल तो हाथी री, मीठी वोली गुजरातरी,
ऊंची वोली भभरोरो, वड़ी वोली उदयपुररी,
रूप तो काश्मीर को, राग तो सारंग,
सावण व्हार कास्मीररी,
अप्रैल-मई व्हार दार्जलिंग री,
पुछा पुछी परवतसररी, वात वोगत शिरोहीरी,
दोडा दोडी मसुदारो, लपराई भोजा वादरी,
चुंप सोजतरी, भाई चारो जालोरको,
धणा मस्ती कोहेरी, टोरो तो भाग्य रो,
जाणो तो आदर रो, हेत तो मातारो,
मरण परभातरो, जन्म रातरो, स्त्री तो पद्मणी,
लेखो चोखो माजनं रो, आंट साहुकार री,
भय तो मरण रो, मस्करी तो सालाकी,

लाज तो सूसरा की, सुख तो सासरे,
राज तो पोपा बाई रो।

मिथ्यात्वी वर्णन लावणी।

काल अनादिकी भूलसे प्राणी, मत ममतमें ताता है। कंकर कुं शंकर करी माने, ए कुमति की वाता है ॥ १ ॥ आक धतूरा वेल पात सुं, पूजत शिव रंगराता है। अगदान देता शिव-मतिमें, नरनारीका नाता है ॥ २॥ चंडी जीवका गला कटावे, लोक कहे ए माता है। ताकुं पूज मगन मनमोहन, सो नर नरके जाता है ॥ ३ ॥ कुगुरुसुं पर भव दुःख पामे, नहीं तिल-भर एक शाता है। कुदेव कुं चेतन युं सेवत, हिंसा धर्म दुःखदाता है ॥ ४ ॥ कुगुरु त्याग सुगुरु निज सेवे, नित्य निग्रन्थ गुण गाता है। जिनवर गुण जिनदास वखाने, ए मुक्तिका व्हाना है ॥ ५ ॥

॥ इति मिथ्यात्वी वर्णन लावणी समाप्तम् ॥

श्री मच्चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नम ।

॥ दोहा ॥

केवलज्ञानी को सदा, वदु वेकर जोड़ ।
गुरु मुखसे धारण करो, अपनी भीदको छोड़ ।१।
जिन वचन तहमेव सत्य, समभाव नहीं ताण ।
जतनासुं वाचो सही, एह प्रभुकी वाण ॥ २ ॥
पोथी जतने राखजो, तेल अग्निसूं दूर ।
मूर्ख हाथ मत दीजिये, जोखम खाय जरूर ॥३॥
भणजो गुणजो वांचजो, हितकर दीजो दान ।
पोथी द्यो सुविनीतको, ज्युं पावो सन्मान ॥ ४ ॥

दोहा—

पिङ्गल गण जाणु नहीं, अल्पमति अनुसार।
रची अर्पण करु ज्येष्ठ ने, पंडित लेजो सुधार॥ १॥
दध अक्षर दूरे करो, शुद्ध अक्षर मुज लीध।
देवगुरु प्रसादसे, ज्ञान माला संग्रह कीध॥ २॥
जतने पुस्तक राखिये, पढ़िये चित्त लगाय।
सुख सम्पत्ति सब ही मिले, विघ्न कोड मिट जाय॥ ३॥
अल्प बुद्धि में बाल हूं, विद्वानसे अरदास।
ग्रन्थे देख्या म्नो लिख्या, मत कीजो कोई हास॥ ४॥
सूत्र अर्थ जाणु नहीं, जिन आज्ञा अनुसार।
भूल चूक दृष्टि पड़े, लीजो बुद्धिवान् सुधार॥ ५॥
सूत्रसे विपरीत दिसे, ऐसो अर्थ मत मान।
प्रसिद्ध कर्त्ता इम विनवे, तहमेव सत्य जान॥ ६

विनीत—
ज्ञानपाल सेठिया
बीकानेर (राजपूताना)

अन्तिम मङ्गल श्लोक

शिवमस्तु सर्व जगत, परहित निरता भवन्तु भूतगणाः।
दोषा प्रयान्तु नाशं सर्वत्र सुखी भवन्तु लोका॥
॥ इति श्री जैन ज्ञान माला संग्रह समाप्तम्॥
ॐ शान्ति! शान्ति!! शान्ति!!! ॥ शुभ भवतु॥

अगरचन्द भैरोदान सेठिया श्रीजैन ग्रन्थालयमें छपी हुई पुस्तकें—

७ ज्ञान थोकडा तीजा भाग २४ ठाणा आदिका थोकडा
८ ज्ञान थोकडा चौथा भाग सात नय चार निक्षेपा और छयलश्यका थोकडा।
१२ श्रावक स्तवन संग्रह भाग २
१३ " भाग ३
१४ सामायिक नित्य नियम
१५ सुबोध स्तवन संग्रह
१६ पचीस बोलका थोकडा विस्तार सहित
१७ सामायिक तथा मङ्गलिक दोहा
१८ आलोयणा संग्रह
१६ ज्ञान बहोत्तरी तथा व्यवहार समकित का ६७ बोल
२० ज्ञानमाला नं० १—२
२१ विविध ढाल संग्रह
२२ आहारका १०६ दोष तथा पावनाचार ३४ असज्झाय
२३ लघु दण्डक का थोकडा
२४ पांच सुमति तीन गुप्तिका थोकड़ा
२५ दशवैकालिक सूत्र मूल पत्राकार हल्की और बढिया कागजमें छपरही है।
२६ उत्तराध्ययन सूत्र मूल " "
२७ वीर थुई (सूयगडाग अ० ६) "
२८ नमिराय (उत्तराध्ययन अ० ६) "

पुस्तक मिलनेका पता—

अगरचन्दजी भैरोंदान सेठिया।

का

जैन ग्रन्थालय, जैन विद्यालय तथा

कन्या पाठशाला।

मोहल्ला मरोटियां का

वीकानेर—राजपूताना।

GYAN MALA No. 1

To be had at—

AUGARCHAND BHAIRODAN SETHIA

(1) The Jain Library,
(2) The Jain National Seminary,
(3) The Jain National Girls Institute

Moholla Marotian
BIKANER, Rajputana

उपहार

आभार

प्रस्तुत पुस्तक लिखने में श्रीयुत सूर्यकरणजी आचार्य,एम ए ,श्रीयुत या०मुक्ताप्रसादजी वकील हाईकोर्ट, तथाश्रीयुत प रामनारायणजी त्रिवेदी, एम ए. एल एल बी, वकील हाईकोर्ट, से हमें बहुमूल्य सहायता प्राप्त हुई है। अतएव हम उक्त विद्वान महानुभावों के अत्यन्त कृतज्ञ हैं।

—भैरोंदान जेठमल सेठिया,

सेठिया जैन पारमार्थिक संस्थाएँ, बीकानेर

आदमी सामाजिक प्राणी है बगैर समाज के आदमी की चिन्तनाओं का कोई मूल्य नहीं। समाज की व्यवस्था कुछ सार्वभौमिक नियमों के अनुसार होती है। यही नियम असान्ता भाषा में कानून कहलाते हैं परिस्थिति भेद से यही मूल थोड़े से नियम अनेक अर्थों में प्रयोग होने के कारण भिन्न भिन्न धाराओं और उपधाराओं का रूप पाते हैं।

हर एक आदमी को, जिसे समाज में रहना है, कानून की मोटी मोटी बातों का अवश्य ही जानना चाहिए। कानून जैसे विषय पर अनेक बड़े-बड़े और महत्वपूर्ण ग्रंथों के होते हुए भी यह छोटी सी पुस्तक लिखने का एक मात्र उद्देश्य यही है कि लोग कानून की कामचलाऊ बातें जान जायें। अक्सर कानूनी बातें न जानने से लोगों को धोखा हो जाता है और अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस से न केवल व्यक्तियों का नुकसान होता है बल्कि समाज की व्यवस्था भी भंग होती है। अतः यह पुस्तक उन्हीं लोगों के काम की है जो कानून की प्रारंभिक बातें जानने के इच्छुक हैं। कानूनी पुस्तकों की भाषा प्रायः उर्दूप्रधान रहती है परन्तु हमने इसीलिए यथाशक्ति इसके विषय को सरल सुबोध हिंदी बनाने की चेष्टा की है।

जिन्हें उक्त विषय की बारीकियाँ जानने की जिज्ञासा है, वे भी चाहें तो इससे सहायता ले सकते हैं, पर उन्हें इसमें विशेष आशा नहीं रखनी चाहिए। कानून जैसे व्यापक विषय को ऐसी छोटी सी पुस्तक में भर देना सम्भव भी तो नहीं है।

भाषा के सम्बन्ध में यही निवेदन है कि हमने बराबर ख्याल रक्खा है कि कोई कठिन और अप्रचलित शब्द न आजाय। जहाँ कहीं विषय की स्वाभाविक गम्भीरता के कारण ऐसा करने में हम असमर्थ रहे हैं वहाँ हमने शब्द के हिन्दी, उर्दू और अंग्रेजी रूपों को भी दे दिया है। इतना होने पर भी हमने पुस्तक के अन्त में कुछ अंग्रेजी हिन्दी रूपों का एक शब्द कोष भी जोड़ दिया है। कहने का मतलब यही है कि हमने पूरी तरह यह यत्न किया है कि यह छोटी सी पुस्तक भी लोगों को अधिक से अधिक बातें बता सके।

हमारा यह प्रयत्न जनता की कुछ भी सेवा कर सका तो हम परिश्रम को सफल समझेंगे और भविष्य में इससे विस्तृत और पूर्ण पुस्तक देने का प्रयास करेंगे। एवमस्तु।

बीकानेर,
१४-६-३१

भैरोंदान सेठिया,
वाइसप्रेसीडेंट म्युनिसिपल बोर्ड,
और
आनरेरी मजिस्ट्रेट सदर, बीकानेर

Bhairodan Sethia
Vice-President, Municipal Board,
and
Honorary Magistrate
BIKANER.

विषय सूची

संक्षिप्त कानून संग्रह

[१] दण्ड-विधान

---

(१) जिन कामों का करना अथवा जिनके करने से दूर रहना यदि प्रचलित कानून के अनुसार दण्डनीय हो तो वह काम जुर्म (अपराध) कहलाता है। अपराध दो प्रकार के होते हैं—

(क) जमानत के योग्य—जिसमें अपराधी को जमानत पर छोड़ा जावे।

(ख) जमानत के अयोग्य—जिसमें अपराधी जमानत पर छोड़ा न जा सके।

(२) फौजदारी के मुकदमे दो प्रकार के होते हैं—

(क) वारण्ट केस-उस मुकदमे को कहते हैं, जो किसी ऐसे अपराध के सम्बन्ध में हो जिसकी सजा मृत्यु या कालापानी या छः माह से अधिक का कारागार हो।

(ख) समन्स केस वह अपराध है जिसमें छः मास या उससे कम सजा मुकर्रर हो

(३) फौजदारी अदालत (न्यायालय) नीचे लिखे प्रकार की होती है , किन्तु गवर्नमेण्ट (शासन) औरभी अदालतें समय-समय पर नियुक्त कर सकती है-

(क) हाईकोर्ट (उच्चतम न्यायालय)

(ख) सेशन कोर्ट (दौरा जज की अदालत) बीकानेरमें हाईकोर्टका प्राथमिक विभाग।

(ग) डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (नाजिम) की अदालत

(घ) प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट की अदालत

(ङ) द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट की अदालत

(च) तृतीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट की अदालत

(४) इन अदालतों को नीचे लिखे अनुसार अवधि तक दण्ड देने का अधिकार रहता है—

(क) तीसरी श्रेणी के मजिस्ट्रेट को (१) एक मास की कैद (२) ५०) रुपये जुर्माना।

(ख) दूसरी श्रेणी के मजिस्ट्रेट को (१) छह मास तककी कैद (२) २००) तक जुर्माना।

(ग) प्रेसिडेन्सी तथा प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट तथा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को (१) २ वर्ष तक की कैद (२) १०००) तक जुर्माना (३) बेत लगवाने का दण्ड

(घ) सेशन (दौरा जज) अदालत को कानून के अनुसार हर तरह की पूरी सजा,परन्तु मृत्युदण्ड हाई कोर्ट के आधीन रहेगा।

(ङ) हाईकोर्ट अदालत– कानून के अनुसार प्राणदण्ड तक सब प्रकार की सजा,परन्तु प्राणदण्ड श्रीजी सा०की मँजूरीके अधीन रहेगा।

(५) जब कभी कोई मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस का कर्मचारी किसीसे नीचे लिखे हुए कामों में मदद मांगे तो ऐसी मदद देना प्रत्येक आदमी का कर्त्तव्य है। ऐसी मदद न देने वाला अपराधी गिना जाता है—

(क) भागते हुए किसीको रोकने में अथवा पकड़ने (गिरफ्तार करने) में जिसको पकड़ना मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस का कर्त्तव्य हो।

(ख) सार्वजनिक शान्ति भंग को रोकने में अथवा रेल नहर या सरकारी माल को हानि पहुंचाने में रोकने में।

(६) ताजी रात हिन्द [भारतीय दण्ड विधान] के अनुसार नीचे लिखे अपराधों की सूचना पुलिस को देना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है, अन्यथा वह अपराधी गिना जावेगा।

(क) गवर्नमेन्ट के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का उद्योग वा परामर्श करना या इसमें सहायता पहुंचाना या उसके लिए शस्त्रों का संग्रह करना अथवा किसी ऐसी गुप्त बातको इस नीयत से छुपाना कि युद्ध करना सरल हो जाय या गवर्नमेन्ट के किसी मिनिस्टर या गवर्नर अथवा प्रेसिडेन्ट या वाइसप्रसीडेन्ट को धमकाना इस नीयत से कि वह किसी उचित, व नियमानुकूल कार्य को करने अथवा न करने को बाध्य होजावे, या गवर्नमेण्ट के विरुद्ध किसी प्रकार घृणा उत्पन्न करना या उत्पन्न करने का उद्योग करना, या गवर्नमेण्ट के मित्र राज्यों से युद्ध करना अथवा उन राज्यों में लूटमार

करना, किसी राज विरोधी बंदी को भागने, बचाने या सुरक्षित रखने में सहायता पहुंचाना।

(ख) अन्याय पूर्वक तथा अनीति पूर्वक रची हुई किसी सभा या उपाय में साथ देना अथवा उसमें साथ देकर मृत्युकारक हथियार अपने पास रखना, अथवा ऐसे जमाव को तितर बितर होने का हुक्म मिलने पर भी उस में सम्मिलित रहना।

[ग] बिना हथियार के अथवा मृत्युकारक हथियारों के साथ दंगा करना।

[घ] किसी का जान बूझ कर अथवा बिना जाने खून करना किसी मनुष्यका वध करने वाले उस बंदी के द्वारा ज्ञातवत वध किया जाना।

[ङ] चोरी का अपराध करनेके अभिप्राय से किसी का वध करना या किसीको दुःख पहुँचाना अथवा रुकावट पैदा करना या मौतकी धमकी देनेके पश्चात् चोरी करना।

[च] डाका डालने का काम करना या डाका

डालने का उद्योग करना अथवा ऐ
काम करने में किसी को बड़ी चोट प
धाना, या किसी को जानबूझ कर ।
डालना, अथवा मृत्युकारी हथियार
कर चोरी या डकैती करना अथवा इ
सी करने के लिए तैयारी करना त
इकट्ठा होना।

[छ] आग अथवा भक से बढ़ने वाले पद
के द्वारा १००) तक हर्जा पहुँचाने ।
नीयत से अथवा खेतो की चीजों प
१०) तक हानि पहुचाने अथवा घ
आदि को नष्ट करने के अभिप्राय ई
किसी को हानि पहुचाना।

[ज] रात के समय छुप कर किसी के घरमें
जबर्दस्ती घुसना अथवा किसी का घर
फोड़ना।

[झ] रात को छुप कर या जबर्दस्ती घर में
घुसना या किसी ऐसे अपराध करने की
नीयत से घुसना जिसका दण्ड हो,
अथवा दुःख पहुचाने, आक्रमण करने

या रोकने की नीयत से रात में घुसना या ऐसी अवस्था में बड़ी चोट पहुंचाना।

[ञ] केवल निम्नलिखित अवस्थामें पुलिस बिना वारण्ट गिरफ्तार कर सकती है और २४ घण्टे से ज्यादा बिना मजिस्ट्रेट की आज्ञा के पुलिस अपने अधिकार से नहीं रोक सकती, और आज्ञा से भी १५ दिन से अधिक, किसी प्रकार नहीं रोक सकती—

[१] किसी ऐसे पुरुषको जिसके सम्बन्ध में यह निश्चित हो अथवा उचित सूचना मिली हो कि उसने ऐसा अपराध किया है जो बिना वारण्ट गिरफ्तार हो सकता है।

[२] ऐसे पुरुष को जिसके पास अकारण घर फोड़ने का हथियार हो।

[३] अपराधी जिसके पकड़ने का कोई हुक्म हो।

[४] कोई पुरुष जिसके कब्जे में चोरी का माल हो।

का भय दिखाने वाला या लूट मार करने वाला हो।

[७] ऊपर की धारा (२) मे बतलाए हुए दो प्रकार (समन्स और वारन्ट) के मुकद्दमों में नीचे लिखे अनुसार क्रम से अदालतो मे कार्रवाई हुआ करती है —

[क] समन्स के मुकद्दमे की कार्रवाई का क्रम अपराधी अदालत के सामने उपस्थित होता है या किया जाता है उस वक्त मजिस्ट्रेट अपराधी को उस अपराध का पूरा विवरण सुना देता है, जो उस पर लगाया जाता है फिर उससे पूछा जाता है कि वह अदालत को इस बात का सन्तोष दिलावे और समझावे कि उसको क्यों न दण्ड दिया जावे। यदि अपराधी उस अपराध को करना स्वीकार करे तो उसकी स्वीकृति (इकबाल) उन्हीं शब्दों मे लिखी जातीहै, जिनमें वह अदालत मे बोलता है। उसके बाद यदि वह अपराधी अदालत को सन्तोष

न दिखा सके कि उसने अपराध नहीं किया है तो मजिस्ट्रेट को उसको नियत दंड देना पड़ता है। जब अपराधी अपराध करना स्वीकार नहीं करता है तो मजिस्ट्रेट अभियोक्ता के और उसका समर्थन करने वालों के बयान लेता है, और उसके बाद अपराधी के तथा उसका समर्थन करने वालों के बयान लेता है और निर्णय करता है। अन्तिम निर्णय होने से पहले-पहले यदि अभियोक्ता न्यायाधीश को विश्वास करवा देता है कि अभियोग को वह वापिस लेना उचित समझता है तो न्यायाधीश को अधिकार होता है कि वह अभियोक्ता को अभियोग उठा लेने देवे और अभियुक्त को छोड़ देवे। यदि मुकद्दमे की किसी निश्चित तारीख पर अभियोक्ता अदालत में उपस्थित न होवे और अपराध राजीनामा करने योग्य हो तो मजिस्ट्रेटको अधिकार होताहै कि वह

राजी को छोड़ देवे। यदि मजिस्ट्रेट को निश्चय हो जावे कि अभियोक्ता ने अपराधी को नुकसान पहुँचाने की दृष्टि से ही अपराध लगाया है तो उसको अधिकार है कि यदि वह उचित समझे तो कारण पतला कर अपराधीको अभियोक्ता से हरजाने का उचित रुपया दिलवा देवे। ऐसी रकम यदि अभियोक्ता नहीं देवे तो यह रकम उससे या उसकी सम्पत्ति से जबरदस्ती प्राप्त कर ली जा सकती है, नहीं तो उसको ३० दिन तक का कारावास दिया जा सकता है।

वारन्ट केस में होने वाली कार्रवाई का क्रम

(८) जब अपराधी अदालत के सामने आता है अथवा लाया जाता है तो मजिस्ट्रेट फरियादी या उसके द्वारा पेश किये हुए प्रमाण [सबूत] को लेता है उसके पश्चात् वह पूछताछ करके उन आदमियों के नाम पूछता है जो उस मुकद्दमे का विवरण जानते हों तथा उसके विषय में साक्षी दे सकते

हो तब वह उन गवाहों को बुलाता है। इनकी साक्षी लेने के बाद अथवा इससे पहले भी यदि मजिस्ट्रेट को विश्वास होजावे कि अपराध भूल से लगाया गया है तो वह अपराधीको छोड़ देवे। साक्षी होने पर अथवा उससे पहले यदि मजिस्ट्रेट को सम्भव प्रतीत हो कि अपराधी ने अपराध किया है और उसके निर्णय करने का मैं अधिकारी हूँ, तो वह उस अपराधीको वह अपराध सुना देवे जो उसके विचार से अपराधी ने किया हो। उसके पश्चात् अपराधी से पूछा जावेगा कि वह अपराधी है या नहीं। यदि अपराधी अपराध स्वीकार करे तो उसको न्याय के अनुसार दण्ड दिया जावे, अन्यथा उसको पूछा जायगा कि वह फरियादी के किस किस साक्षी को फिर से बुला कर उनसे जिरह करना चाहता है। अपराधी जिस-जिस साक्षीको बुलाना चाहे उसको फिर जिरह के वास्ते बुलाया जावे। उनसे जिरह की जावे और उसके बाद अपराधी के साक्षियों के बयान लिये जावें अथवा उसके दूसरे प्रमाण स्वीकार किये जावें।

उसके बाद यदि मजिस्ट्रेटको निश्चय हो जावे कि अपराधी निरपराध है तो वह उसको बरी कर देवे, अन्यथा कानून के अनुसार दण्ड देवे। यदि फरियादी किसी निश्चित तारीख पर अदालत में उपस्थित न हो तो अदालत को अधिकार है कि वह उस अपराधी को छोड़ देवे।

(६) किसी मनुष्य के प्रार्थना करने पर कि उसके मुकद्दमे के सम्बन्ध में अमुक-अमुक मनुष्य प्रमाण अथवा साक्षी दे सकते हैं, अदालत को अधिकार है कि वह उन साक्षियों को बयान देने अथवा प्रमाण पेश करने के वास्ते गवाह को जबरदस्ती अदालत में बुलवा लेवे, लेकिन शर्त यह है कि प्रार्थना करने वाले से उन गवाहों के खर्च की रकम पहले अदालत में जमा करवा ली जायगी यदि अपराध काबिल दस्तन्दाजी न हो।

(१०) हाईकोर्ट से निर्णय होने वाले सब मुकद्दमों में जूरी लोगों के सामने निर्णय हुआ करता है, (परन्तु बीकानेर में आवश्यक नहीं है) लेकिन अदालत सेशन में असेसरों की सहायता से

हुआ करता है।

(११) किसी आदमी के काफी आमदानीका द्वार होने परभी यदि वह अपना स्त्री अथवा अपने औरस तथा हराम बचे का पालन न करता हो तो प्रथम वर्ग तकके मजिस्ट्रेट को अधिकारहै कि इस कार्य में सुस्ती करने वाले अथवा पालन न करने वाले को हुक्म देवे कि वह एक निश्चित रकम उन स्त्री व बचोंके पालनके वास्ते, जो ५०) मासिक से अधिक न हो, उनको अथवा किसी दूसरे निश्चित मनुष्यको एक निश्चित समय से बराबर देता रहे। यदि वह आदमी इस परभी सुस्ती करे अथवा न देवे तो निश्चित अवधि पर उसके नाम वारण्ट निकालकर उससे जुरमाने की तरह वसूल करे। वसूल न होने पर उसको एक मास या उससे अधिक उचित समय तक अथवा वसूल होने तक कैद रखे। अगर पालन होने वाला आदमी पालन करने वाले के बिना किसी खास कारण के साथ रहने को राजी न हो तो उसको वजीफा नहीं दियाजा सकता यदि वह स्त्री वेश्या

धृति या व्यभिचार करती हो तो भी उसको वृत्ति नहीं मिल सकती यदि स्त्री अपने पुरुषकी राय से और अपनी खुशी से अपने पति से अलग रहतीहो तो उसको कोई वृत्ति नहीं मिल सकती:—

(१२) नीचे लिखी शर्तों में आदमी परवरिश करने से मुआफ हो सकता है —

[क] यदि वह भीख मांगने वाला हो।

[ख] यदि वह किसी बड़े हिंदू खानदान से सम्मिलित हो कर रहता है।

[ग] यदि वह १६ वर्ष तक का हो और अभी तक पाठशाला मे पढ़ता हो।

[घ] यदि औरतके सम्बन्धी ऐसे हों जो उसको पालन कर सकते हों और करनेका राजीहो

(ङ) यदि उसने अपनी औरत को किसी व्यभिचार के कारण छोड़ दिया हो।

(१३) पुलिस को अधिकार है कि वह प्रत्येक आदमी को किसी मुकद्दमे की पूछताछ करे अथवा करने

के वास्ते किसी को थोड़ी देरके लिए बुला
अथवा किसी को किसी अपराध के भ्रम से २४ घं
तक रोक सके। २४ घण्टे के बाद अदालत
हुक्म के बिना रोकने से पुलिस पर जबरदस्ती
रोकने का मुकद्दमा चल सकता है।

(१४) पुलिस के कर्मचारियों को किसी आदमीको मार
पीट करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर वे
ऐसा करें तो उन पर फौजदारी मुकद्दमा चल
सकता है।

(१५) पुलिस के कर्मचारियों को हरएक आदमी के
बयान लेने का अधिकार है किन्तु उस बयान पर
डराकर धमकाकर अथवा किसी प्रकारसे किसी
से दस्तखत करवाने का अधिकार नहीं है। यदि
कोई डर से या धमकी से कर देवे तो भी अदालत
के सामने इन्कार करके वह कह सकता है कि उसने
वह दस्तखत डरसे अथवा धमकी से कर दिये थे

ताजीरात हिन्द

———:o:———

यदि कोई आदमी ऐसा काम करे जो उसे कानून के अनुसार करना चाहिए और जिसे करने का उसका कर्त्तव्य हो, तो वह काम कोई अपराध नहीं गिना जा सकता।

(१) यदि किसी बात को गलत समझ कर कोई आदमी सत्य भाव से कानून के अनुसार किसी काम को करना अपना कर्त्तव्य समझ कर उस काम को करता है जो सचमुच उसका कर्त्तव्य नहीं है, तो भी वह कोई अपराधी नहीं है। जैसे-

कचहरी के किसी प्यादे को हुक्म मिले कि वह राम को पकड़े और उससे पूरी पूछताछ कर के यदि प्यादा राम के बदले कृष्ण को राम समझ पकड़ लेवे तो भी वह अपराधी नहीं है।

(२) यदि किसी अदालत के निर्णय (फैसले) अथवा हुक्म के अनुसार कोई काम सद्भाव से किया

जाय तो वह भी कोई अपराध नहीं है।

(३) यदि कोई काम दैव वश अथवा दुर्भाग्यवश हो जाय तो वह अपराध नहीं है, यदि वह काम उचित रीति से नीतिपूर्वक पूरी पूरी सावधानी और चेतनता के साथ बिना किसी बुरे भाव के किया जावे। जैसेः—

गोपाल नामक एक आदमी होशियारी के साथ लकड़ी काटता है। दुर्भाग्य से उसकी कुल्हाड़ी डांडे से निकल जाती है और पास में खड़े हुए मोहन को लग जाती है तो भी वह कोई अपराध नहीं है।

(४) यदि कोई आदमी शुद्ध भाव के साथ किसी की जान अथवा माल को किसी हानि से बचाने अथवा रोकने के मतलब से कोई काम यह समझते हुए करे कि ऐसा करने से उसे जान अथवा माल के अतिरिक्त कोई दूसरे प्रकार की हानि हो सकती है तो भी वह कोई अपराध नहीं करता। लेकिन शर्त यह है कि उस काम को करने में जान अथवा माल को कोई हानि पहुँचाने की

उसकी भावना न हो और न आवश्यक हानि से विशेष हानि पहुँचादे जैसे—

एक गांव में आग लगी है और कोई आदमी उसके घरों को इस भाव से गिराता है कि घरों को गिराने से आग नहीं फैलेगी और इस प्रकार मनुष्यों के प्राण व धन बच जावेगा, तो इस काम में उसका शुद्ध भाव प्रमाणित होने पर उसका काम अपराध नहीं गिना जावेगा।

(५) सात वर्ष से नीचे की अवस्था वाला यदि कोई काम करे तो उसका कोई भी काम अपराध नहीं गिना जावेगा। जैसे—

राम नामक एक छः साल का लड़का यदि एक पुस्तक चुरा कर अपने घर वाले किसी मोहन को देता है तो राम को सजा से छूट है लेकिन मोहन को नहीं।

(६) सात वर्ष से अधिक और बारह वर्ष से कम उम्र के बालक की समझ अगर इतनी न पकी होवे कि वह किसी काम के गुण और उसके फल की बुराई भलाई को समझ सके तो उसका किया

हुआ कोई भी काम अपराध नहीं गिना जावेगा।

(७) किसी काम के करते समय यदि करने वाले को अपनी बुद्धि के बिगड़ जाने के कारण अपने काम का ज्ञान न हो अथवा यदि वह इस बात को समझने के लायक न हो कि जो काम वह कर रहा है वह अनुचित और कानून विरुद्ध है, तो उस वक्त का उसका वह काम अपराध नहीं गिना जा सकता। जैसे–

- गोपाल नामक एक पागल आदमी ने कृष्ण को लाठी मारी जिससे वह मर गया, तो पागलपन के कारण वह छूट सकता है।

(८) यदि किसी आदमी को उसकी इच्छा के विरुद्ध अथवा उसको बतलाये बिना नशा करा दिया जावे जिसके कारण यदि वह अपने किये हुये काम के गुण को समझने के लायक न रहे कि उसका वह काम अनुचित अथवा न्याय विरुद्ध है तो उसका वह काम अपराध नहीं गिना जा सकता जैसे —

राम को गोपाल जबरदस्ती अथवा उसको बिना बतलाए भंग पिला देता है, जिसके कारण वह किसी भले आदमी के घर में घुस कर कुछ नुकसान पहुँचाता है तो उसका वह कार्य्य अपराध नहीं गिना जा सकता।

(९) यदि कोई आदमी किसी दूसरे आदमी के साथ जिसकी आयु १८ साल से कम न हो, उसकी मर्जी के साथ, किसी प्रकार की बड़ी चोट अथवा मृत्यु पहुँचाने की नीयत के बिना, कोई काम करता है जिससे उस दूसरे आदमी को हानि अथवा नुकसान पहुँच जावे तो भी वह कोई अपराध नहीं गिना जा सकता, चाहे उन दोनों को यह बात मालूम भी हो कि उस काम में हानि भी पहुँच सकती है। जैसे—

राम और गोपाल फुटबॉल का खेल खेलते हैं और दोनों शुद्ध रीति से खेल में लगने वाली चोट या हानि को सहने के लिए तैयार हैं। यदि दुर्भाग्य वश उसमे किसी को चोट लग जावे तो कोई अपराध नहीं है।

(१०) यदि कोई आदमी जिसकी आयु १८ वर्ष से कम न हो, अपने लाभ के वास्ते अपनी खुशी से अपने किसी नुकसान को सहने को राजी हो और अपनी इच्छा के अनुसार कोई दूसरा आदमी उसके साथ शुद्ध भाव से कोई ऐसा काम करता है जिससे उसका नुकसान पहुँचे या पहुँच सकता हो, तो भी यह काम या नुकसान अपराध नहीं है। लेकिन शर्त यह है कि नुकसान पहुँचाने वाले ने यह काम उसको मारने के वास्ते न किया हो। जैसे—

मोहन नामक एक आदमी को बड़ा भयानक रोग है। सोहन नामक डाक्टर जानता है कि उस रोग के वास्ते चीरफाड़ करने से मोहन की मृत्यु हो सकती है, लेकिन मोहन को बचाने की इच्छा से शुद्ध भाव से, मोहन की राय या रजामन्दी से यदि चीरफाड़ करता है तो यह कोई अपराध नहीं है, यद्यपि उस चीरफाड़ से मोहन भले ही मर जावे।

(११) यदि कोई आदमी शुद्ध भाव से किसी बारह

वर्ष की उम्र से छोटे बच्चे अथवा पागल आदमी के साथ, उसके लाभ के वास्ते उनके माता पिता अथवा उनके अभिभावकों की राय या रजामन्दी से ऐसा काम करता है, जिससे उनको नुकसान पहुँचता है तो भी यह अपराध नहीं है। लेकिन शर्त यह है कि उस आदमी ने वह काम उनको मारने की नीयत से न किया हो।

कृष्ण अपने लड़के राम को मस्से (बवासीर) की बीमारी की चीर फाड़ किसी डॉक्टर से करवाता है और वह यह जानता है कि अक्सर ऐसे इलाज से आदमी मर जाता है, यदि राम मर जावे तो भी कोई अपराध नहीं है क्योंकि कृष्ण का मतलब उस को मारने का नहीं था वरन उसको आराम करने का था

(१२) यदि कोई आदमी ऐसी हालत म हो कि वह अपनी प्रसन्नता या आज्ञा प्रकट नहीं कर सकता और कोई दूसरा आदमी उसको लाभ पहुंचाने को शुद्ध भाव से, उसके साथ ऐसा काम कर-

ता है जिससे पहले आदमी को हानि पहुँच की भी संभावना हो तो भी उसका यह का कोई अपराध नहीं है। जैसे—

हरि नामक एक आदमी को एक भेड़िया पक कर ले जा रहा है मोहन नामक एक शिकारी गोल चला कर उसको छुड़ाना चाहता है उसको यह भय है कि शायद गोली हरि को ही लग जावे।

यदि हरि की आज्ञा से वह गोली चला 'और उससे उसको घाव लग भी जावे तो भी को अपराध नहीं है। लेकिन इस हालत में हरि बेहोश है और अपनी राय नहीं दे सकता, ऐसी सूरत में भ यदि मोहन भेड़िये पर गोली चला कर हरि को छु ड़ाना चाहता है और भाग्यवश वह गोली हरि को ही लगती है, तो भी मोहन अपराधी नहीं है।

(१३) यदि कोई आदमी शुद्ध भाव से किसी आदमी को उसी के लाभ की दृष्टि से कोई सूचना दे, जिसे सुन कर उसे हानि पहुँचे तो भी यह कोई

अपराध नहीं है। जैसे—

गोपाल नामक एक डाक्टर राम नामक एक आदमी को उसके लाभ की दृष्टि से सूचना देता है कि उसका बीमार पिता कृष्ण जल्दी मरने वाला है यदि इस समाचार को सुन कर राम को हानि पहुँचे अथवा वह मर भी जावे तो भी गोपाल का सूचना देना कोई अपराध नहीं है

(१४) यदि कोई आदमी किसी को ऐसा काम करने को कहे जो जुर्म हो और उसको इस बात का डर बतावे कि अगर वह उसके कहने के अनुसार नहीं करेगा तो फौरन उसी समय मार दिया जावेगा। ऐसी सूरत मे यदि डर के मारे उस आदमी को किसी जुर्म के काम मे सम्मिलित होना पड़े तो उसका उस हालत में किया हुआ काम कोई अपराध नहीं है। लेकिन शर्त यह है कि जिस काम में वह आदमी डर कर सम्मिलित होता है वह काम किसी की मृत्यु करने का, राजद्रोह का अथवा कोई ऐसा काम न हो

जिसका दण्ड मृत्यु हो। जैसे—

राम नाम के किसी आदमी को चोरों का एक झुण्ड घेर लेता है और उसको पिस्तौल दिखला कर हुक्म देता है कि वह अपने मालिक कृष्ण के खजाने की चाबी निकाल कर, अपने मालिक का धन निकाल कर उनको देवे। यदि राम इनका कहना न करे तो इसको भय है कि वे उसको मार डालें, इस वास्ते ऐसी हालत में यदि वह चोरी करके धन निकालता है तो भी वह कोई अपराध नहीं करता।

(१५) आत्म रक्षा के अधिकार को बरतने में यदि कोई आदमी आत्मरक्षा के लिए कोई ऐसा काम करे जिससे आत्म रक्षा हो तो वह काम अपराध नहीं है।

"आत्म" शब्द का अर्थ अपना शरीर तथा किसी अन्य मनुष्य का शरीर तथा अपनी या अन्य आदमी की सम्पत्ति है। अतएव आत्म-रक्षा करने का मतलब इन वस्तुओं की रक्षा करना है। अर्थात् अपने शरीर का अथवा किसी

दूसरे के शरीर को किसी बड़ी हानि अथवा चोट से बचाना तथा किसी प्रकार की सम्पत्ति को चोरी डकैती की हानि पहुँचने से तथा अनधिकार हस्तक्षेप से बचाना आत्मरक्षा कहलाता है। जैसे—

राम के घर में एक चोर तलवार लेकर घुसता है। राम जग जाता है और देखता है कि चोर उसको या उसके संबंधियों को मार डालेगा अथवा बड़ी चोट पहुँचावेगा अथवा उसका धन चुरा कर या छीन कर ले जावेगा अथवा उस संपत्ति को नष्ट कर देगा। ऐसी अवस्था में यदि राम आत्मरक्षा के वास्ते चोर को चोट पहुँचाकर अपनी अथवा अपनी वस्तु की रक्षा करता है तो वह कोई अपराध नहीं करता।

(१६)प्रत्येक आदमी को किसी नासमझ अथवा पागल अथवा नशेवाले आदमी के सामने आत्मरक्षा का इतना ही अधिकार है जितना उसे एक समझदार बड़े अथवा सावधान आदमी के सामने बचाव करते समय हो सकता है। जैसे—

राम नामक कोई नासमझ बालक, अथवा पागल अथवा नशेवाला आदमी कृष्ण के ऊपर तलवार लेकर

आक्रमण करता है, उपरोक्त छूट के कारण राम का यह काम जुर्म नहीं गिना जावेगा, परन्तु यह संभव है कि वह कृष्ण को चोट पहुँचावे अथवा ऐसी हानि पहुँचावे कि वह (कृष्ण) मर जावे। ऐसी अवस्था में कृष्ण को चुपचाप मृत्यु नहीं सह लेनी चाहिए। उसको आत्मरक्षा का अधिकार स्वतन्त्र रूप से बरतना चाहिए। आत्मरक्षा के लिए कृष्ण का किया हुआ कोई उचित काम अपराध नहीं गिना जा सकता।

(१७) आत्मरक्षा के बहाने से कोई आदमी यदि किसी आक्रमण करने वाले को समयानुकूल आवश्यकता से अधिक हानि पहुँचावे तो उसका यह कार्य आत्मरक्षा के वास्ते किये जाने पर भी अपराध समझा जावेगा। जैसे -

राम हाथ में नंगी तलवार लेकर गोपाल पर आक्रमण करता है। गोपाल अपना बचाव करता है। इसी बीच में राम के हाथ से तलवार छूट कर गिर जाती है और गोपाल उसे उठा लेता है। तलवार छूट जाने के बाद यदि गोपाल राम को हानि पहुँचाता है तो उसका ऐसा करना जुर्म है। क्योंकि तलवार छूटने के बाद आत्मरक्षा की आवश्यकता ही नहीं थी।

(१८) नीचे लिखी हुई अवस्थाओं में देह सम्बंधी आत्मरक्षा के वास्ते, आत्मरक्षा करने वाला आदमी यदि आक्रमण करने वाले का खून भी कर डाले तो भी कोई जुर्म नहीं गिना जासकता है–

(क) यदि आक्रमण का नतीजा साधारणतया मार डालने का प्रतीत हो।

(ख अथवा उस आक्रमण का फल साधारणतया कठिन शारीरिक हानि हो।

(ग) यदि आक्रमण किसी स्त्री के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध भोग करने की नीयत से किया गया हो।

(घ) यदि आक्रमण किसी पुरुष के साथ प्रकृति विरुद्ध भोग करने की नीयत से हो।

(ङ) यदि वह आक्रमण किसी को भगा लेजाने अथवा ले भागने की नीयत से हो।

(च) अथवा यदि कोई आदमी किसी को उस की इच्छा के विरुद्ध ऐसे स्थान में रोके जहाँ से छूट कर

निकलना तथा उस अन्याय युक्त रुकावट की फरियाद करना सर्वथा असम्भव प्रतीत होवे। जैसे राम नामक एक आदमी कृष्ण पर नगी तलवार लेकर आक्रमण करता है। यदि कृष्ण राम को मार न डाले तो वह उस को अवश्य मार डालेगा अथवा उस को कोई बड़ी शारीरिक हानि पहुँचावेगा अथवा यदि राम किसी स्त्री के साथ अथवा किसी पुरुष के साथ उनकी इच्छा के विरुद्ध भोग करने के वास्ते उन पर आक्रमण करे अथवा राम, कृष्ण नामक कम उम्र वाले बच्चे को या गामरधारी नामक कम उम्र की लड़की को भगा ले जाने के लिए आक्रमण कर अथवा मोहनी नामक स्त्री को बल पूर्वक या धोखा देकर ले भागने की नीयत से आक्रमण करे अथवा यदि राम कृष्ण को ऐसे कमरे में जबर्दस्ती बन्द कर देवे और यदि कृष्ण को ऐसा प्रतीत हो कि इस कमरे से निकल कर पुकार करने तक की कोई संभावना नहीं, तो उप युक्त अवस्थाओं में से किसी भी अवस्था में यदि आत्मरक्षा के कार्य में राम मार डाला जावे तो भी मारने वाले का कामकानून के अनुसार कोई अपराध नहीं गिना जा सकता।

(१९) नीचे लिखी हुई अवस्थाओं में संपत्ति सम्बंधी आत्मरक्षा करने में यदि आक्रमण करने वाले को बड़ी शारीरिक हानि पहुँचे अथवा उसकी मौत तक हो जावे तो भी यह कार्य कोई जुर्म नहीं है—

(क) डाके के समय में

(ख) रात के समय जब कि कोई घर में जबरदस्ती प्रवेश करे

(ग) किसी मकान अथवा जहाज अथवा मनुष्य के रहने के किसी स्थान में आग लगाने के मौके पर।

(घ) इस अवस्था की चोरी डकैती, जिसमें ऐसा प्रतीत हो कि आत्मरक्षा किये बिना मनुष्यों की मृत्यु होने की सम्भावना हो। जैसे—

राम नामक कोई आदमी किसी के घर में डाका डालने के वास्ते अथवा रात मे जबरदस्ती, घर में प्रवेश करे, अथवा किसी मकान को या रहने के स्थान को जलाने अथवा हथियारों से सुसज्जित होकर किसी

स्थान में चोरी अथवा डकैती करे जिससे कि मालिक मकान को भय हो कि आत्मरक्षा किये बिना उसकी मृत्यु की सम्भावना है, ऐसी अवस्था में यदि सम्पत्ति की रक्षा के वास्ते राम को कोई मार भी डाले तो भी कोई अपराध नहीं है।

(२०) यदि आत्मरक्षा का अधिकार बर्तते समय, बर्तने वाले को यह जान पड़े कि आत्मरक्षा बर्तने में उससे कई निरपराध व्यक्तियों की भी हानि हो सकती है, तिस पर भी यदि वह आत्मरक्षा के वास्ते कोई काम करे जिससे किसी निरपराध को चोट पहुँचे या मृत्यु हो तो भी उसका यह कार्य कोई अपराध नहीं है। जैसे-

राम पर कोई क्रुद्ध झुण्ड आक्रमण करता है, उस झुण्ड में कुछ तमाशा देखने वाले बच्चे भी हैं। राम के पास एक पिस्तौल है। राम को प्रतीत होता है कि आत्मरक्षा के वास्ते गोली चलाने पर कुछ निरपराध बच्चों को भी हानि पहुँच सकती है। मगर ऐसी अवस्था में भी यदि राम गोली चलाता है और इससे किसी बच्चे की मौत होती है तो भी वह कोई अपराध नहीं करता।

कानून शहादत

यह कानून बृटिश भारत में १ सितम्बर १८७२ ई० से जारी हुआ। यह कानून सब कार्रवाई अदालत में काम आता है। परन्तु इसका संबंध बयान हल्फी (शपथपूर्वक बयान— एफिडेविट) या पंचायती कार्रवाई से नहीं है।

इस कानून में नीचे लिखे शब्दों के अर्थ यह होंगे—

(१) कोर्ट का मतलब पंचों को छोड़कर तमाम जज मजिस्ट्रेट और ऐसे दूसरे लोगों से भी है जो कानून के अनुसार गवाही लेने का अधिकारी हो।

(२) तमाम बातें, जो ज्ञानेन्द्रियों द्वारा मालूम हो सकें या जिनसे अन्तःकरण की अवस्था जानी जा सके, वे वाकिया (फेक्ट) कहलाती हैं। जैसे—

(क) किसी स्थान पर कुछ वस्तुएँ रखी हैं, यह एक वाकिया है।

(ख) किसी मनुष्य ने कुछ देखा, सुना या

कुछ शब्द कहे, ये सब वाकियात हैं।

(ग) किसी मनुष्य की कोई विशेष सम्मति (विचार इरादा) है यह भी एक वाकिया है।

(३) जिन वाकियात को कानून शहादत द्वारा प्रमाणित किया जा सके, उन्हें वाकिआत मुतालिका (रेलिवेंट फेक्ट्स–प्रासंगिक घटना) कहते हैं।

(४) वाकआत अमर तनकीह (स्वयं विवाद ग्रस्त विषय अथवा फेक्ट इन इशू) से मतलब ऐसे प्रत्येक वाके से है, जिससे स्वयं या दूसरे वाकिआत को मिलाकर, किसी अधिकार, जिम्मेदारी या नाकाबलियत का होना या न होना अथवा किसी बात की स्वीकृति या अस्वीकृति पाई जाय। जैसे– राम पर श्याम को मार डालने का अभियोग है। इस अभियोग में नीचे लिखे वाकिआत तनकीह तलब हो सकते हैं.—

(क) राम, श्याम की मृत्यु का कारण हुआ

(ख) राम ने श्याम को मार डालने का विचार किया

(ग) राम को श्याम ने एकाएक क्रोध दिलाया

(घ) राम, श्याम को मारने समय अपने होश

मे न था ।

(६) कोर्ट का समय व्यर्थ की गवाही लेने में खराब न हो इसलिए यह नियम बना दिया गया है कि सिर्फ उन्हीं वाकआत की गवाही ली जा सकेगी, जिनके संबंध में तनकीह हो या,जो इस कानून की रू से मुताल्लिक (प्रासंगिक) माने गये हो। दफा ५

नीचे लिखे वाकयात प्रासंगिक माने गये है —

(१) ऐसे वाकयात जो तनकीह मे न होते हुए भी तनकीह वाले मामलों से ऐसा घनिष्ट सम्बन्ध रखते हों कि वे मिलकर एक ही मामला बन गये हों। उदाहरणार्थ—

राम पर ऐसे राजद्रोह का आरोप लगाया गया हो कि जिसमें हथियार लेकर बलवे मे शामिल होना, फौज पर हमला किया जाना, जेलखाना तुड़वाना आदि हुऐ हों, तो ये सब बातें प्रासंगिक हैं, चाहे राम इन सब के होते समय उपस्थित न भी रहा हो।

दफा ६

(२) ऐसे वाकयात जो स्वय विवादग्रस्त विषय के मौका, कारण या फल हो। उदाहरणार्थ—

प्रश्न यह हो कि रामने श्याम को विष देकर मार

डाला या नहीं ? तो विष देने के चिह्न, उसके पहिले श्याम का स्वास्थ्य, उसकी आदत जिसके कारण राम को मौका मिला कि वह विष दे सके, ये सब बातें प्रासंगिक हैं। दफा ७

(३) ऐसे वाकेआत जिनसे किसी काम की नीयत तैय्यारी अथवा पक्षकार का आगे या पीछे का चलन विदित होता हो। उदाहरणार्थ .—

राम ने श्याम पर तमस्सुक के आधार पर रुपये की नालिश की, श्याम तमस्सुक लिखने से इन्कार है तो यह कि तमस्सुक लिखे जाने के वक्त श्याम को रुपए की सख्त जरूरत थी, प्रासंगिक है।

अथवा राम पर मनुष्यहत्या का आरोप है तो ये बातें कि अपराध के पहिले, उसी वक्त, या पीछे उसने ऐसी गवाही इकट्ठा की जो उसको हितकर हो या किसी गवाही को छिपा दिया या गवाही को हाजिर होने से रोक दिया, या झूठे गवाह खड़े किये, ये सब बातें प्रासंगिक हैं। दफा ८.

(४) ऐसे वाकेआत जो किसी प्रासंगिक घटना को समझाने के लिये जरूरी हों अथवा जिनसे किसी मनुष्य या वस्तु की पहचान होती हो, उदाहरणार्थ:—

रामने श्याम पर मानहानिका दावा किया कि उसने उसपर दुश्चरित्र होने का लेख लिखा है। श्याम ने जवाब पेश किया कि जो बात मानहानिकारक कही जाती है वह सही है तो जिस वक्त लेख लिखा गया उस वक्त का उभय पक्ष का आपसी व्यवहार इन बातों को सम्बन्धित करने के लिए प्रासंगिक विषय कहा जायगा। परन्तु किसी ऐसे झगड़े की कैफियत जो राम और श्याम के बीच हुआ हो, जिसका मानहानिकी बात से कोई सम्बन्ध न हो, प्रासंगिक विषय नहीं है यद्यपि झगड़ा होना प्रासंगिक विषय हो सकता है। दफा ९

(५) कोई शब्द अथवा काम जो षड्यंत्र करने वालों के सम्मिलित विचारों का फल हो, उदाहरणार्थः—

इस बात को मानने के लिये कारण हो कि राम ने सम्राट के विरुद्ध षड्यन्त्र किया तो यह बात कि श्याम ने इस काम के लिये योरप में शस्त्र इकट्ठे किये, माधव ने बम्बई में लोगों को इस में सम्मिलित होने के लिए इकट्ठा किया, सोहन ने इसी मतलब से आगरे में इश्तहार बाटे, मोहन ने दिल्ली से वह रुपया काबुल रवाना किया जो कलकत्ते में इकट्ठा किया गया

था तो ये सब बातें राम का षटयत्र में सबन्ध बत लाने के लिए प्रासंगिक हैं यद्यपि राम का इन लोगों से परिचय भी न हो और चाहे ये बातें उसके षड़यन्त्र में सम्मिलित होने से पूर्व हो चुकी हों। दफा १०

(६) जब कोई बात सम्बन्धित विषय या तनकीह के विपरीत हो या किसी दूसरी बात से मिलकर अति सम्भव या असम्भव के परिणाम को पहु चाती हो। उदाहरणार्थ,—

यदि राम पर किसी विशेष स्थान पर जुर्म क रने का आरोप हो और उसकी उपस्थिति अन्य कहीं प्रमाणित हो तो ये दोनों बात विपरीत हैं अतएव प्रा संगिक हैं।

जब यह प्रश्न हो कि इन मनुष्यों में से अपरा ध किसने किया तो प्रत्येक ऐसी बात जिससे यह प्र माणित हो कि एक ने जुर्म किया दूसरे ने नहीं, प्रासं गिक है। दफा ११.

(७) वे बातें जिनसे हर्जाने की नालिश में कोई हर्जा ना निश्चित कर सके। दफा १२

(८) जब हक या रिवाज की नालिश हो तो वे बातें और उदाहरण जिनमें किसी अधिकार अथवा

रिवाज को स्वीकार या अस्वीकार किया गया हो या परिवर्तन किया गया हो। दफा १३

(९) वे बातें जिनसे अन्तःकरण की अवस्था अर्थात् ईमानदारी बेईमानी इत्यादि और शरीर की अवस्था अर्थात् चोट आदि का ज्ञान हो। उदाहरणार्थः—

राम पर चोरी का माल लेने का आरोप हो तो ये बातें कि चोरी के अलावा उसके पास से दूसरा माल भी चुराया हुआ बहुत सा पाया गया जिससे यह जाहिर होता है कि उसे माल लेते वक्त यह ज्ञान था कि यह माल चोरी का है इसलिए यह विषय प्रासगिक है।

राम पर श्याम ने इस बात के लिए हर्जाने की नालिश की कि उसके कुत्ते ने उसे काट लिया है और श्याम को कुत्ते की इस आदत का ज्ञान था तो यह बात कि मोहन, सोहन, और कल्याण को भी इसी कुत्ते ने काटा था और श्याम को इन लोगो ने उलहना दिया था ये सब बातें प्रासगिक है। दफा १४

(१०) वे सब बातें जिनसे यह मालूम हो कि कोई काम इत्तिफाक से हुआ या इरादा करके किया

गया। उदाहरणार्थ :—

राम पर यह आरोप हो कि उसने अपना मकान जान बूझ कर बीमे का रुपया वसूल करने के लिए जला दिया तो ये बातें कि वह एक के बाद दूसरे कई मकानों में रहा हरएक का बीमा कराया, हर मकान में आग लगाई और उनके लिए बीमे के रुपये उसे मिले तो ये सब प्रासंगिक विषय हैं क्यों कि उनसे यह मालूम होता है कि आग इत्तफाक से नहीं लगी। दफा १५.

(११) जब प्रश्न यह हो कि कोई काम हुआ या नहीं तो ऐसे काम के सिलसिले को जारी रखना जिसके माफिक वह किया जा रहा है। उदाहरणार्थ :—

प्रश्न यह है कि कोई पत्र राम को मिला या नहीं तो यह बात कि मामूली दस्तूर के माफिक चिट्ठी डाक में डाली गई थी और वह डेडलेटर आफिस से वापस नहीं आई ये प्रासंगिक विषय हैं। दफा १६.

इक्रबाल उस बयान जबानी या लेखी को कहते हैं जिससे किसी विवादस्थ विषय अथवा प्रासंगिक विषय का नतीजा निकलता हो।

और जो

(क) मुकदमें के पक्षकार अथवा उनके मुख्तार करें।

(ख) पक्षकार मुकदमा अपनी प्रतिनिधि अवस्था में करे।

(ग) उस पक्षकार द्वारा किया जाय जिसका दावे की रकम पर कुछ हक हो।

(घ) उस मनुष्य द्वारा किया जाय जिससे दावे का हक प्राप्त हुआ हो।

(ङ) उन लोगों द्वारा किया जाय जिनकी हैसियत मुकदमे के। उसी पक्षकार के विरुद्ध प्रमाणित करना आवश्यक हो।

(च) पक्षकार के निर्धारित पुरुष ने किया हो।

दफा १७, १८, १९, २०

नोट— इकबाल का उपयोग इकबाल करने वाले के विरुद्ध किया जा सकता है परन्तु उसकी ओर से नहीं। केवल नीचे लिखी सूरतों में इकबाल का उपयोग इकबाल करने वाले की ओर से किया जा सकता है।

(१) जब धारा ३२ में आता हो।

(२) जब इकबाल से इकबाल करने वाले का चलन प्रतीत होता हो।

(३) जब इकबाल के किसी अन्य प्रकार से प्रासंगिक हो।

लेखा दस्तावेजों के सम्बन्ध में मौखिक इकबाल केवल आगे लिखी हालतों में प्रासंगिक होगा अन्यथा नहीं — दफा २१, २२

दीवानी मुकद्दमों में इकबाल उस दशा में प्रासंगिक नहीं माना जायगा जब कि आपसी फैसला करने की नीयत से किया गया हो अथवा उसका पेश न करना निश्चित होगया हो।

उदाहरणार्थ ,—

यदि राम श्याम से २०००) मांगता हो और श्याम उसे १५००) रु० में फैसला करने के लिये लिखता हो परन्तु पत्र पर शब्द without prejudice "बिना नुकसान हक" लिख दे तो वह पत्र गवाही में नहीं लिया जा सकता। दफा २३

फौजदारी मुकद्दमे में इकबाल बयान जो

(१) फुसलान धमकाने या वचन देने से प्राप्त किया गया हो।

(२) पुलिस के अफसर के सामने किया गया हो।

(३) जो अपराधी ने पुलिस की हवालात में किया हो।

तो ये इकबाल अप्रासंगिक माने जाएँगे।

दफा २४,२५,२६

परन्तु यदि उपरोक्त धमकी, फुसलाहट या वचन का असर निकलने के बाद जो इकबाल किया जाय वह प्रासंगिक माना जायगा। दफा २७

पुलिस की हवालात में अपराधी से अपराध के सम्बन्ध में जो सूचना मिले उसका उतना ही हिस्सा साबित किया जा सकता है जिसके जरिये से उस अपराध के सम्बध में कोई नई बात की सूचना मिली हो।

उदाहरणार्थ :— किसी पर चोरी का जुर्म हो और अपराधी बयान करे कि मैंने चोरी की है और फलानी जगह रकम गाड़ी है और पुलिस अफसर को उस जगह लेजाकर उसके सामने खोदकर रकम निकाल दे तो रकम निकालना प्रासंगिक है और गवाही में लिया जायगा। दफा २८

यदि किसी मनुष्य ने यह वचन दिया हो कि वह

भेद न खोलेगा इसपर अपराधी ने इकबाल किया हो और वह हर तरह प्रासंगिक हो तो केवल इस कारण से ही अप्रासंगिक न माना जायगा कि वह गुप्त रखने के वचन पर किया गया था।

जब कि एक से अधिक अपराधियों का एक ही साथ मुकदमा चल रहा हो और उनमें से एक ऐसा इकबाल करे जिसके कारण वह और उसके साथ वाले अभियुक्त दोषी ठहरते हों तो कोर्ट को अधिकार है कि उस इकबाल करने वाले और दूसरों के विरुद्ध उस इकबाल पर विचार करे दफा २९-३०

इकबाल सबूत काफी पक्का सबूत नहीं है उसका खण्डन हो सकता है, यदि वह इस्टापल न हो। दफा ३१

जब कोई गवाह मर जाय, पाया न जाय, अथवा गवाही देने के योग्य न रहे या बिना देरी और खर्च के न आ सकता हो तो उसके बयान चाहे लिखित हों या मौखिक, उस मुकदमे में सबूत रखने वाले समझे जायँगे यदि वे निम्न लिखित बातों के विषय में हों — दफा ३२

(१) जब कि मौत का कारण मरने वाले द्वारा कहा गया हो।

(२) जब कि दैनिक कार्य के सिलसिले में कोई लिखापढ़ी का काम किया गया हो ।

(३) जब कि बयान करने वाले के ~~ या स्वत्व के विरुद्ध हो ।

(४) जब कि बयान रिवाज अथवा हक सम्बन्धी हो और जानकर मनुष्य ने झगड़े से पहिले किया हो अथवा किसी जानकार द्वारा झगड़े से पहले लिखा गया हो ।

(५) जब कि ~~ रिश्तेदारी के विषय में हो और जानकार द्वारा झगड़ा होने से पहिले किया गया हो अथवा बयान किसी लिखापढ़ी में हो जो जानकार मनुष्य द्वारा की गई ।

जब कोई गवाह मरगया हो, अब न मिल सकता हो, गवाही देने योग्य न रह गया हो, किसी सामने वाले फरीक ने उसे गायब कर दिया हो या उसे आसानी से हाजिर नहीं किया जा सकता हो तो कोर्ट को अधिकार है कि अगर उसी सम्बध में उस गवाह के बयान किसी दूसरी कोर्ट के सन्मुख हुए हो तो उन्हें काम में ले ले।

दफा ३३

किसी कारोबार के सिलसिले में अगर हिसाब सम्बन्धी पत्रिका रक्खी गई हों तो उनम् गवाही में लिया जा सकता है परन्तु केवल उन्हीं के आधार पर किसी पर जिम्मेवारी नहीं मानी जा सकती। दफा ३४

यदि किसी सरकारी अफसरने अपने कर्तव्य के पालन में कोई लिखा पढ़ी की हो तो उस लिखा पढ़ी को गवाही ली जा सकती है। दफा ३५

जमीन या समुद्र के नक्शे जो साधारणतया बिकते हैं या गवर्नमेंट द्वारा तैयार किये जाते हों उन की भी गवाही ली जासकती है। दफा ३६

जो बातें किसी एक्ट या इश्तहार गवर्नमेंट में दर्ज हों उनकी शहादत ली जा सकती है। दफा ३७

जब अदालत को किसी विदेशी गवर्नमेंट के कानून के सम्बन्ध में, या किसी विद्या या हुनर के संबंध में अथवा अक्षरों या अगूठे की छाप की पहचान के सम्बन्ध में सम्मति निश्चित करना हो तो इस बारे में उन लोगों की सम्मति प्रामाणिक होगी जो ऐसे कानून, विद्या,हुनर,अक्षर या अगूठे की पहिचान में खास तौर पर होशियार हों।

जब अदालत को किसी खास रिवाज या हक की

राय कायम करना हो तो उस हक या रिवाज के बारे में ऐसे लोगों को राय, जो अगर रिवाज या हक होता तो उससे वाकिफ होते, प्रासंगिक है।

अगर किसी जीवित मनुष्य की राय प्रासंगिक हो तो वे कारण भी प्रासंगिक होंगे जिन की वजह से ऐसी राय कायम हुई हो।

दीवानी मुकदमों में चालचलन का प्रश्न आम तौर से प्रासंगिक नहीं होगा। कार्रवाई फौजदारी में यह बात कि मुलजिम का चालचलन नेक है, प्रासंगिक होगा।

कार्रवाई फौजदारी में यह बात कि मुलजिम का चालचलन बुरा है प्रासंगिक नहीं होती परन्तु जब इस बात की गवाही गुजरे कि उसका चालचलन अच्छा है तो उसकी बदचलनी प्रासंगिक होगी। दीवानी के मुकदमें में किसी शख्स का चालचलन जिससे हर्जाना दिलाया जाना निश्चित होता हो ता वह प्रासंगिक होगा।

कोर्ट नीचे लिखी बातें बिना किसी सबूत के मंजूर करेगी।

(१) कुल कानून या कानून के समान असर रखने वाले कायदे जो ब्रिटिश इंडिया के किसी भाग में जारी हैं, अब तक रहे हों, या आयन्दा होंगे।

कानून शहादत (गवाही)

(१) शहादत दो प्रकार की होती है :—

(१) मौखिक शहादत—उन बयानों को कहते हैं जिनको अदालत विवादग्रस्त विषय से सम्बन्ध रखने वाली बातों के विषय में साक्षियों द्वारा अपने सन्मुख करवाती है अथवा करवाने की आज्ञा देती है।

(२) दस्तावेजी शहादत—उन दस्तावेजों को कहते हैं जो अदालत को दिखलाने के वास्ते पेश किये जाते हैं।

(२) मौखिक शहादत हमेशा सीधी तरह से ही होनी चाहिए अर्थात् यदि देखे जाने योग्य बात के विषय में हो तो स्वयं देखने वाले की, यदि सुने जाने योग्य विषय में हो तो स्वयं सुनने वाले की यदि और इन्द्रिय से अथवा अन्य प्रकार से जानने योग्य बात की शहादत हो तो उस इन्द्रिय द्वारा तथा उस प्रकार से स्वयं अनुभव करने

(२) कुल साधारण एक्ट जो पार्लमेंट से जारी हुये हों या आयन्दा हों।

(३) कानून जो सम्राट की जल और स्थल सेना में प्रचलित हैं।

(४) सम्राट के गद्दी पर विराजने की तारीख

(५) मुहरें जो इंग्लैंड के भागों में बिना सबूत मानी गयी, बृटिश भारत के कोर्टों की मुहरें, एड‌मिरल्टी कोर्ट और अन्य कोर्टों की मुहरें, एडमिरल्टी और नोटेरी पब्लिक की मुहरें, और कानून द्वारा अधिकार प्राप्त पुरुष की मुहरें।

(६) सरकारी गजटेड अफसरों की मुकर्री, अदायगी, ओहदा, और दस्तखत।

(७) बृटिश राज्य द्वारा स्वीकार की हुई रियासतों और राज्यों का अस्तित्व, खिताब, और राष्ट्रीय झंडा

(८) समय विभाग, दुनिया के भौगोलिक भाग, आम त्योहार और तातीलें जो सरकारी गजट में छपें।

(९) बृटिश राज्य का फैलाव

(१०) बृटिश राज्य एवं दूसरे राज्यों के बीच युद्ध का प्रारम्भ, जारी रहना और खतम होना।

(११) जल और स्थल के रास्तों के नियम

कानून शहादत (गवाही)

(१) शहादत दो प्रकार की होती है :—

(१) मौखिक शहादत—उन बयानों को कहते हैं जिनको अदालत विवादग्रस्त विषय से सम्बन्ध रखने वाली बातों के विषय में साक्षियों द्वारा अपने सन्मुख करवाती है अथवा करवाने की आज्ञा देती है।

(२) दस्तावेजी शहादत—उन दस्तावेजों को कहते हैं जो अदालत को दिखलाने के वास्ते पेश किये जाते हैं।

(२) मौखिक शहादत हमेशा सीधी तरह से ही होनी चाहिए अर्थात् यदि देखे जाने योग्य बात के विषय में हो तो स्वयं देखने वाले की, यदि सुने जाने योग्य विषय में हो तो स्वयं सुनने वाले की यदि और इन्द्रिय से अथवा अन्य प्रकार से जानने योग्य बात की शहादत हो तो उस इन्द्रिय द्वारा तथा उस प्रकार से स्वयं अनुभव करने

वाले की अथवा यदि किसी राय के विषय में हो तो स्वयं उस आदमी की जो यह राय रखता हो। लेकिन शर्त यह है कि किसी विषय के विशेषज्ञ लोगों की शहादत के वास्ते उनकी लिखी हुई राय अथवा उनकी लिखी हुई पुस्तक पेश की जा सकती है यदि वह विशेषज्ञ मर गया हो अथवा नहीं मिल सकता हो अथवा गवाही देने के योग्य न हो अथवा किसी विशेष खर्च या देरी के बिना उपस्थित न हो सकता हो।

(३) दस्तावेजी शहादत दो प्रकार से दी जाती है—

(क) असली दस्तावेज के द्वारा (मुख्यतया) अर्थात् जब असली दस्तावेज का दिखलाने के वास्ते स्वयं उसे ही पेश कर दिया जावे।

(ख) गौणरूप से— अर्थात् [१] असली दस्तावेज की तसदीक की हुई प्रतिलिपि (नकल) [२] किसी मशीन-यन्त्र द्वारा असल से मिलाई जाकर की गई हुई नकल [३] जहाँ दो पक्ष बनाई जाती हैं, वहाँ दोनों में से एक पक्ष [४] उस आदमी की गवाही,

जिसने वह दस्तावेज को अपनी आंखों से, स्वयं देखा हो।

(४) केवल नीचे लिखी हुई सूरतों में ही दस्तावेज के सम्बन्ध में गौण रूप गवाही ली जा सकती है। बाकी सब अवस्थाओं में असल के द्वारा ही हो सकती है।

(क) जब कि असल दस्तावेज किसी ऐसे आदमी के कब्जे में हो जिसके खिलाफ वह पेश किया जाता हो, अथवा जब वह ऐसे आदमी के कब्जे में हो जो नहीं मिल सकता हो, अथवा न बुलाया जा सकता हो अथवा जो स्वयं पेश न कर सकता हो।

(ख) जब असली दस्तावेज खोगया हो अथवा नष्ट हो गया हो अथवा असली जब ऐसी हालत में हो कि वह एक जगह से उठाया ही नहीं जा सकता।

(ग) जब कि असली दस्तावेज एक सार्वजनिक दस्तावेज हो अथवा जब उसकी एक तसदीक की हुई नकल पेश हो सकती हो।

(५) हरएक आदमी गवाही देने के योग्य है जबतक कि अदालत यह न समझे कि वह छोटी उम्र के कारण अथवा बहुत बुढ़ापे के कारण अथवा शारीरिक या मानसिक बीमारी के कारण अथवा इसी तरह के अन्य किसी बात के कारण पूछे हुए सवाल को समझने में अथवा उसका युक्तिपूर्ण जवाब देने में असमर्थ है।

(६) जो गवाह बोल नहीं सकता वह अपनी गवाही किसी और दूसरे ढंग से दे सकता है, जिसमें कि वह अपने भाव दूसरों पर प्रकट कर सके, जैसे लिख कर अथवा चिह्नों के द्वारा। मगर शर्त यह है कि यह लिखावट या चिह्न खुली अदालत में हो।

(७) दीवानी मुकदमों में दोनों पक्षों का प्रत्येक आदमी (मुद्दई अथवा मुद्दायला) खुद या उनकी स्त्री या उनका पति इनमें से हर एक गवाह बन सकता है लेकिन फौजदारी में स्वयं पक्ष वालों के सिवाय हर एक गवाह बन सकता है, जहाँ पर दो आदमियों ने, मिल कर अपराध किया हो तो

दोनों में से कोई दूसरे के खिलाफ गवाह बन सकता है।

(८) गवाहों से नीचे लिखी हुई बातों के बारे में सवाल नहीं पूछे जा सकते।

(क) अपने विवाह के सम्बन्ध की कोई गुप्त बात

(ख) अपने दफ्तर की कोई गूढ़ बात अथवा अन्य कोई बात।

(ग) कोई भी बैरिस्टर, अटरनी प्लीडर अथवा वकील अपने मुवक्किल की आज्ञा के बिना मुकद्दमे के सिलसिले में मालूम की हुई कोई बात अथवा दस्तावेज की लिखावट या शर्तें, अथवा कोई गवाही की बात, गवाही के तौर पर अदालत में आ कर खोल नहीं सकता। लेकिन यदि वकील को कोई ऐसी बात अन्यायपूर्ण काम के लिए बतलाई गई हो तो वह वकील उस बात को गवाही के तौर पर कह सकता है यही उपर्युक्त नियम दुभाषियो के वास्ते तथा बैरिस्टर, प्लीडर, अटर्नी अथवा

वकीलों के नौकरों के वास्ते लागू रहेगा।

(घ) अपने वकील को बतलाई हुई कोई गुप्त बात के बारे मे-

(ङ) अपने खुद का कोई पट्टा, दस्तावेज अथवा गिरवी रक्खी हुई कोई चीज या किसी सम्पत्ति के सम्बन्ध वाला और कोई कागज, लेकिन शर्त यह है कि वह गवाह खुद ही किसी पक्ष वाला न हो।

(६) हरएक गवाही के सम्बंध में गवाह से कौनसी बात पूछी जा सकती है और कौनसी नहीं क्या बात पहले साबित होनी चाहिए- और कौनसी बाद में, इत्यादि प्रश्नों का निर्णय अदालत की मरजी पर है।

(१०) कौनसे मुकदमे में कितने गवाहों की आवश्यकता होती है, इसका कोई नियम या सिद्धान्त नहीं है।

(११) जो आदमी अपनी तरफ से कोई गवाह पेश करे उसको अधिकार होता है कि सबसे पहले वही अपने गवाह से प्रश्न पूछ कर गवाही लेवे

उसके बाद सामने के पक्ष वाला उस गवाह से प्रश्न पूछ कर उससे जिरह करे। जिरह की कोई बात यदि साफ नहीं हुई हो तो गवाह को पेश करने वाले आदमी को अधिकार है कि वह अपने गवाह से जिरह की उस बात का प्रश्न पूछ कर साफ कर लेवे। लेकिन वह उस वक्त कोई नया प्रश्न नहीं कर सकता। पहले प्रश्नों को असली बयान कहते है बाद के प्रश्नों को जिरह कहते है और अन्तिम को मुकर्रर सवाल कहते हैं।

(१२) असली बयान या जिरह मुकद्दमे से सम्बन्ध रखने वाली बातों से सबंध रखने वाले ही हो सकते है, लेकिन यह बात जरूरी नहीं है कि जिरह करने वाला उन्हीं बातों के बारे में जिरह करे जो गवाह को असली बयानों में पूछा गया हो उसमें नीचे लिखी हुई बातों के विषय में भी प्रश्न पूछे जा सकते है।

(क) गवाह की सचाई की जाच के वास्ते।

(ख) इस बात के सम्बन्ध में कि वह कौन है

और उसकी स्थिति कसी है ।

(ग) गवाह के चरित्र या चलन को नीचा दिखला कर उसमें अविश्वास पैदा करने के वास्ते चाहे उससे उस पर कोई जुर्म या इल्जाम लगता हो अथवा उसको जुर्माना अथवा सजा भी मिलती हो।

(१३) गवाह को किस किस सवाल का जवाब देने के वास्ते दबाया जा सकता है, इसका निर्णय अदालत स्वयं करेगी।

(१४) नीचे लिखे हुये प्रश्न अगर पूछे जायेंगे तो अदालत उनको पूछने से रोक सकती है।

(क) जो प्रश्न अश्लील व गन्दा हो चाहे उसका असली मामले से थोड़ा सम्बन्ध भी हो

(ख) जो प्रश्न किसी का अपमान करने के वास्ते अथवा उसको तंग करने के वास्ते अथवा और किसी प्रकार से अशान्ति फैलाने के वास्ते पूछा गया हो।

(१५) किसी गवाह से नीचे लिखे अनुसार दरियाफ्त

कर सकता है अगर गवाह पेश करनेवाला ही ऐसा करना चाहे तो कोर्ट की इजाजत लेनी होगी।

(१) दूसरे आदमियों की ऐसी गवाही से कि वे उस गवाह को गैरमोतबर समझते हैं

(२) यह मंजूर करके कि गवाह ने रिश्वत ली है या लेना मंजूर की है

(३) उसके पहिले के बयान पेश करके कि जो उसकी गवाही के विरुद्ध हों

(४) किसी पर बलात्कार का आरोप हो तो यह बतला-कर कि मुद्दई या चरित्रभ्रष्ट स्त्री है।

हाकिम अदालत को अधिकार है कि जो सवाल वह चाहे किसी तौरपर किसी वक्त, किसी गवाह या पक्षकार से किसी प्रासंगिक या अप्रासंगिक विषयमें पूछ सकता है, या कोई दस्तावेज या चीज पेश करने का हुक्म दे सकता है और किसी पक्षकार या उसके मुख्तार को यह हक न होगा कि ऐसे किसी प्रश्न या हुक्म के विषय में उज्र कर सके और कोर्ट की आज्ञा बिना ऐसे प्रश्नों के उत्तर पर जिरह भी नहीं की जासकती,

किन्तु फैसले का आधार केवल प्रासंगिक विषय
ही होंगे एवं ऐसे प्रश्न भी नहीं पूछे जासकेंगे
जिनके विषय में ऊपर साफ २ मनाही करदी
गई है।

जिन मुकदमों में ज्यूरी या असेसरान नियुक्त
हों उनमें उन्हें अधिकार है कि ऐसे प्रश्न जो
हाकिम कोर्ट कर सकता हो और जिन्हें हाकिम
मुनासिब समझे, हाकिम की मार्फत या इजाजत
से वे पूछ सकें हैं।

हिन्दू ला– [धर्मशास्त्र]

(१) हिन्दू ला अर्थात् धर्मशास्त्र की उत्पत्ति (१) श्रुति (२) स्मृति (३) रिवाज (४) अदालती फैसले और (५) सरकार के बनाये कानून से हुई है।

(२) हिन्दू ला केवल उन्हीं लोगों के लिये लागू न होगा जो कि हिन्दू मजहब मानते हों बल्कि उन लोगों के लिये भी लागू होगा जो हिन्दू धर्म के बाहर नहीं हैं। यह ला ब्रह्मसमाजी, सिक्ख, जैन, कच्छी मेमन और भारतीय बौद्धों के लिये भी लागू माना गया है।

जैनियों आदि का अगर कोई खास रिवाज खिलाफ न हो तो उनके लिये हिन्दू ला ही लागू होगा। ३१ कल० ११, ३० आई. ए. २४९, ६९ बाम्बे ११६।

(३) हिन्दू ला उन लोगों के लिये लागू नहीं होता जो हिन्दू से मुसलमान अथवा ईसाई हो गये हों।

(४) हिन्दू ला उत्तराधिकार (विरासत), विवाह, जाति, खोयत, दत्तक, पालापन (संरक्षण), बटवारा, दान (हिबा), पटवारा, धार्मिक रिवाज या कामों के सम्बन्ध में लागू होता है।

(५) हिन्दू ला की मुख्य दो शाखाएँ (स्कूल्स) हैं मिताक्षरा और दाय भाग। मिताक्षरा की बनारस, मिथिला, बम्बई (महाराष्ट्र गुजरात) एवं द्रविड़ (मद्रास) ८ उपशाखाएं हैं। दाय भाग केवल बंगाल में और मिताक्षरा बाकी समस्त भारत में माना जाता है। पञ्जाब में कस्टमरी ला (रिवाज) का भी प्रचार है।

(६) (१) मिताक्षरा

(क) बनारस स्कूल—संयुक्त प्रांत यू. पी. में चलता है, मिताक्षरा, वीरमित्रोदय, निर्णयसिंधु और दत्तक मीमांसा मान्यग्रंथ हैं।

(ख) मिथिला स्कूल—तिरहुत तथा उत्तर विहार में चलता है, मिताक्षरा, विवादचिन्तामणि और दत्तकमीमांसा मान्य ग्रंथ हैं।

(ग) बंबई (महाराष्ट्र) स्कूल पश्चिम भारत में चलता है, मिताक्षरा, व्यवहारमयूख, निर्णयसिंधु एवं दत्तकमीमांसा मान्य ग्रन्थ है।

(घ) द्रविड स्कूल—दक्षिण भारत में चलता है, मिताक्षरा, स्मृतिचन्द्रिकापाराशरमाधव्य, सरस्वतीविलास एवं दत्तकचन्द्रिका मान्य ग्रन्थ है।

(२) दाय भाग—बंगाल में सर्वमान्य है, दाय भाग, दायकर्म, और दत्तकचन्द्रिका यहाँ के मुख्य ग्रन्थ हैं।

(७) भारत के सब प्रांत अपने धर्म और रिवाज के अनुसार प्रथक २ स्कूलो में बांट दिये गये है। यहाँ के रहने वालों के ये जातीय कानून माने जातेहैं और यदि वे लोग उस प्रान्तको छोड़कर दूसरे में जा बसे,तो जब तक इसके विरुद्ध साबित न किया जाय,यह माना जायगा कि उनका सम्बन्ध पहिले प्रान्त के स्कूल से ही है।

(८) कोई अदालत ऐसा मुकदमा न सुनेगी जिसमें केवल कौम या जाति-सम्बन्धी प्रश्न हो, और

(४) हिन्दू ला उत्तराधिकार (विरासत), विवाह, जाति, स्त्रीधन, दत्तक, पालन (संरक्षण), वसियत, दान (हिबा), बटवारा, धार्मिक रिवाज या संस्था के सम्बन्ध में लागू होता है।

(५) हिन्दू ला की मुख्य दो शाखाएँ (स्कूल्स) हैं मिताक्षरा और दाय भाग। मिताक्षरा की बनारस, मिथिला, बम्बई (महाराष्ट्र गुजरात) एवं द्रविड़ (मदरास) ४ उपशाखाएं हैं। दाय भाग केवल बंगाल में और मिताक्षरा बाकी समस्त भारत में माना जाता है। पञ्जाब में कस्टमरी ला (रिवाज) का भी प्रचार है।

(६) (१) मिताक्षरा

(क) बनारस स्कूल—संयुक्त प्रांत यू पी. में चलता है, मिताक्षरा, वीरमित्रोदय, निर्णयसिंधु और दत्तक मीमांसा मान्यग्रंथ हैं।

(ख) मिथिला स्कूल—तिरहुत तथा उत्तर विहार में चलता है, मिताक्षरा, विवादचिन्तामणि और दत्तकमीमांसा मान्य ग्रंथ हैं।

(ग) बम्बई (महाराष्ट्र) स्कूल पश्चिम भारत में चलता है, मिताक्षरा, व्यवहारमयूख, निर्णयसिंधु एवं दत्तकमीमांसा मान्य ग्रन्थ हैं।

(घ) द्रविड़ स्कूल—दक्षिण भारत में चलता है, मिताक्षरा, स्मृतिचन्द्रिकापाराशरमाधव्य, सरस्वतीविलास एवं दत्तकचन्द्रिका मान्य ग्रन्थ हैं।

(२) दाय भाग—बंगाल में सर्वमान्य है, दाय भाग, दायकर्म, और दत्तकचन्द्रिका वहाँ के मुख्य ग्रन्थ हैं।

(७) भारत के सब प्रांत अपने धर्म और रिवाज के अनुसार प्रथक २ स्कूलों में बांट दिये गये हैं। वहाँ के रहने वालों के ये जातीय कानून माने जाते हैं और यदि वे लोग उस प्रान्तको छोड़कर दूसरे में जा बसे, तो जब तक इसके विरुद्ध साबित न किया जाय, यह माना जायगा कि उनका सम्बन्ध पहिले प्रान्त के स्कूल से ही है।

(८) कोई अदालत ऐसा मुकदमा न सुनेगी जिसमें केवल कौम या जाति सम्बन्धी प्रश्न हो, और

जिसमें जायदाद की हकदारी का प्रश्न न हो। इस-विषय में ज़ाब्ता दीवानी सन १९०८ की दफा ९ में कहागया है कि जिस दावे में मिल्कियत या किसी हक का झगड़ा हो उसकी ही नालिश दीवानी अदालत में होगी, चाहे वह हक पूर्णरूप से किसी मजहबी रस्म या रिवाज पर निर्भर हो।

विवाह

(९) हिन्दू शास्त्रानुसार विवाह एक कर्तव्य कर्म अर्थात् संस्कार है। यह ८ प्रकार का माना गया है (१) ब्राह्म, (२) दैव (३) आर्ष,(४)प्राजापत्य, (५) आसुर , (६) गांधर्व (७) राक्षस और(८) पैशाच। इनमें प्रथम चार उचित एवं अंतिम चार अनुचित हैं। आजकल ब्राह्म और आसुर दो ही प्रचलित हैं। ब्राह्म में लड़की का पिता वरसे कुछ नहीं लेता किन्तु आसुर में लड़की के बदले रुपया लिया जाता है।

(१०)विवाह के विषय में दो बातें आवश्यक हैं,प्रथम

वर कन्या एक ही जाति के हों, दूसरे वे दोनों एक ही कुटुम्ब के न हों।

(११) (क) कन्या वर से छोटी हो यह आम बात है पर आवश्यक नहीं कि वर से छोटी ही हो अब शारदा एक्ट के अनुसार लड़की का १४ वर्ष और लड़के का १८ वर्ष से कम उम्र में ब्याह नहीं हो सकता।

(ख) एक्ट १५ सन् १८५६ के अनुसार अब विधवासे भी विवाह किया जा सकता है।

(ग) पति की मौजूदगी में स्त्री दूसरा विवाह नहीं कर सकती वरना दफा ४९८ ताजीरात हिन्द के अनुसार उसे दण्ड दिया जायगा।

(घ) लड़की की सगाई किसी एक से कर देने के बाद भी दूसरे से विवाह किया जासकता है।

(ङ) बदले में विवाह शास्त्रों में मना है परन्तु जाति रस्म से जायज माने जांयगे।

(१२) माता की तरफ से पांचवीं और पिता की तरफ से सातवीं पीढ़ी के अन्दरवाली कन्या के साथ

विवाह-वर्जित है क्योंकि ये आपस में सपिण्ड होते हैं।

(१३)अब प्राय विभिन्न जातियों में परस्पर विवाह नहीं होते,पहिले जाति विचार नहीं किया जाता था, अब ऐसे विवाह सिविल मैरेज एक्ट के अनुसार हो सकते हैं।

(१४ चूंकि हिन्दू विवाह एक संस्कार है जिसका बंधन पति पत्नी पर जन्म भर रहता है इसलिए हिन्दूला में तलाक नहीं मानागया है। हिन्दू पति दूसरा विवाह करसकता है परन्तु स्त्री नहीं करसकती

(१५)विवाह की रस्म मे होम और सप्तपदी मुख्य हैं इनके होचुकने पर विवाह सम्पूर्ण माना जायगा। सगाई करदेने से ही विवाह पूरा नहीं होता। सगाई छोड़देने पर सिर्फ हर्जाने का दावा किया जासकता है।

(१६)कन्यादान का अधिकार सबसे पहिले पिता,उसके न होनेपर पितामह तत्पश्चात् भाई और उसके

न होने पर पिताके नजदीकी रिश्तेदार, उसके बाद माता को प्राप्त है।

(१७)हिन्दू सम्मिलित परिवार के लड़के लड़कियों की शादी का सब वाजबी खर्च सम्मिलित जायदाद में से दिया जायगा।

(१८)पति ही स्त्री का संरक्षक है अतएव उसे उसी के पास रहना चाहिए चाहे वह कितनी ही छोटी उमर की हो, विवाह के पश्चात् यदि पति या पत्नी आपस में एक दूसरे के साथ रहने से इन्कार करें, तो इनकार करने वाले पक्ष पर वैवाहिक अधिकार प्राप्त करने का दावा किया जा सकता है। स्त्री, पति से क्रूरता, धर्म परिवर्तन, नामर्दी, व्यभिचार और घृणित रोग के कारण अलग रह सकती है।

दत्तक

(१९)प्राचीनकाल में स्मृतियों में १४ प्रकारके पुत्र

७

गोद ले सक्ती है चाहे पति ने आज्ञा न भी दी हो, यदि पति स्वतंत्र अलग रहता था तो देवा विगैर किसी की अनुमतिके भी गोद ले सकती है।

(१५) जिस विधवा के पतिको गोद लेनेका अधिकार रहा हो तो गोद लेने के वक्त देवा की नाबालिगी से गोद नाजायज नहीं होता। देवा दत्तक ले तो उस दत्तकके अधिकार गोद लेनेके समय से शुरू होंगे पतिके मरनेके समय से नहीं।

(१६) यदि पति ने अनेक देवाओं को गोद लेनेका सामिलित अधिकार दिया हो तो वे सर्व सम्मति से ही गोद लेसकती हैं।

और यदि कोई खास अवधि न मुकर्रर की गई हो तो विधवा जब चाहे दत्तक लेसकती है। किन्तु व्यभिचारिणी गोद नहीं ले सकती। सुतक में लिया गया दत्तक भी नाजायज है और यदि पतिने स्पष्ट मनाही करदी हो तो किसी भी सूरत के मुताबिक गोद नहीं लिया जासकता।

(१७) गोद लेनेका अधिकार पुरुष केवल अपनी स्त्री को ही देसकता है, अधिकार जबानी भी दिया जासकता है और लेखी भी। जिस शर्तके साथ अधिकार दियागया हो वैसे ही उसका पालन भी करना होगा। अगर पति ने किसी खास लड़के को गोद लेनेकी आज्ञादी हो तो दूसरे का गोद नहीं लिया जा सकता। विधवाको जो अधिकार दिया गया हो उसको पूरा करनेके लिये वेवा मजबूर नहीं की जा सकती।

(१८) जैनियोंमें विधवा को वही अधिकार प्राप्त हैं जोकि उसके पतिको थे इसीलिये उसे दत्तक के लिये पतिकी आज्ञाकी जरूरत नहीं और न किसी दूसरे आदमीकी रजामंदी की जरूरतहै, क्योंकि इनलोगों में दत्तक कोई धार्मिक कृत्यके लिये नहीं होता। पंजाबमें भी यही रिवाज प्रचलितहै।

(२९) बाप और मा के सिवाय और कोई आदमी दत्तक नहीं देसकता चाहे वह कितना ही नजदीकी रिश्तेदार क्यों न हो। किसी खास

सूरत में भाई का दत्तक देना जायज मानागया है परन्तु यह आम कायदा नहीं है। पहिला अधिकार पिताका है उसके मरजाने पर माता को अधिकार रहता है।

(१०) गोद लड़का ही लिया जा सकता है लड़की नहीं। प्रायः ऐसा ही लड़का गोद लिया जा सकता है जिसकी माता कुवारी दशा में गोद लेने वाले से व्याही जाने योग्य होती अर्थात् बहन, भानजी आदि के पुत्र को गोद नहीं लिया जासकता क्योंकि कोई भी हिन्दू अपनी बहन आदि से व्याह नहीं करसकता। इसके सा दत्तक सगोत्र सपिण्डोंसे लिया जाय परन्तु उपरोक्त नियम शूद्रोंके लिये लागू नहीं होता।

(११) सहोदर भाईका लड़का सबसे नजदीक का रिश्तेदार होने से गोद लेनेके लिये श्रेष्ठ है। किस उमरका लड़का गोद लिया जा सकता है इसके विषय में भिन्न २ मत हैं। यह निश्चित है कि ब्राह्मणों में उपनयनसे पूर्व गोद लिया जाना-

चाहिये पञ्जाब और बम्बई प्रान्तों में और जैनधर्मावलम्बियों में इसकी कोई रोक नहीं है इसलिये किसी भी उम्र का लड़का गोद लिया जा सकता है व ह्वे वह ब्याहा भी हो और उसके सन्तान भी हो।

(११) दो पुरुष एकही लड़केको गोद नहीं ले सकते। जैनियों में लड़की का लड़का गोद लिया जा सकता है। मारवाड़में भी लड़कीके लड़के को गोद लेते हैं मगर कोर्ट इसे उस वक्त तक जायज नहीं मानता जबतक कि ऐसा रिवाज मंजूर न हो। दक्षिण में बहनका लड़का गोद लिया जा सकता है। एकलौते लड़के का गोद लेना शास्त्रों में जायज नहीं पर अब कोर्टों के माफिक जायज हो गया है।

(१२) पहिले तो दत्तक में शास्त्रों की कई क्रियाएं करनी पड़ती थी परन्तु अब निम्नलिखित रस्में करली जाना काफी हैं:—

(क) गोद देनेवाले द्वारा दिया जाना और लेनेवाले द्वारा गोद में लिया जाना।

दाय में भाई का दत्तक देना जायज मानागया है परन्तु यह प्रायः चायदा नहीं है । पहिला अधिकार पिताका है उसके मरजाने पर माता को अधिकार रहता है ।

(१०)गोद लड़का ही लिया जा सकता है लड़की नहीं । परन्तु ऐसा भी लड़का गोद लिया जा सकता है जिसकी माता कुंवारी दशा में गोद लेने वाले से ब्याहे जाने योग्य होती अर्थात् बहन, भानजी आदि के पुत्र को गोद नहीं लिया जासकता क्योंकि कोई भी हिन्दू अपनी बहन आदि से ब्याह नहीं करसकता । द्विजके ना दत्तक सगोत्र सपिण्डमेंसे लिया जाय परन्तु उपरोक्त नियम शूद्रके लिये लागू नहीं होता ।

(११)सहोदर भाईका लड़का सबसे नजदीक का रिश्तेदार होने से गोद लेनेके लिये श्रेष्ठ है । किन्तु उसका लड़का गोद लिया जा सकता है इसके विषय में भिन्न २ मत हैं । यह निश्चित है कि ब्राह्मणों में बचपनसे पूर्व गोद लिया जाना-

चाहिये पञ्जाब और बम्बई प्रान्तों में और जैनधर्मावलम्बियों में उमरकी कोई राक नहीं है इसलिये किसी भी उम्र का लड़का गोद लिया जा सकता है व हे वह ब्याहा भी हो और उसके सन्तान भी हो।

(११) एक पुरुष एकही लड़केको गोद नहीं ले सकते जैनियों में लड़की का लड़का गोद लिया जा सकता है। मारवाड़में भी लड़कीके लड़के को गोद लेते हैं मगर कोर्ट इसे उस वक्त तक जायज नहीं मानता जबतक कि ऐसा रिवाज मंजूर न हो। दक्षिण में बहनका लड़का गोद लिया जा सकता है। एकलौते लड़के का गोद लेना शास्त्रों में जायज नहीं पर अब कोर्टों के माफिक जायज हो गया है।

(१२) पहिले तो दत्तक में शास्त्रों की बहुत सी क्रियाएं करनी पड़ती थी परन्तु अब निम्नलिखित २ रस्में करनी जाना काफी हैं:—

(क) गोद देनेवाले द्वारा दिया जाना और लेनेवाले द्वारा गोद में लिया जाना।

सूरत में भाई का दत्तक देना जाअज मानागया है परन्तु यह आम कायदा नहीं है। पहिला अधिकार पिताका है उसके मरजाने पर माता को अधिकार रहता है।

(१०) गोद लड़का ही लिया जा सकता है लड़की नहीं। तथा ऐसा ही लड़का गोद लिया जा सकता है जिसकी माता कुमारी दशा में गोद लेने वाले से व्याहे जाने योग्य होती अर्थात् बहन, भानजी आदि के पुत्र को गोद नहीं लिया जासकता क्योंकि कोई भी हिन्दू अपनी बहन आदि से व्याह नहीं करसकता। इसके सा दत्तक सगोत्र सपिण्डमेंसे लिया जाय परन्तु उपरोक्त नियम शूद्रोंके लिये लागू नहीं होता।

(११) सहोदर भाईका लड़का सबसे नज़दीक का रिश्तेदार होने से गोद लेनेके लिये श्रेष्ठ है। किस उमरका लड़का गोद लिया जा सकता है इसके विषय में भिन्न २ मत हैं। यह निश्चित है कि ब्राह्मणों में उपनयनसे पूर्व गोद लिया जाना-

चाहिये पञ्जाब और बम्बई प्रान्तों में और जैनधर्मावलम्बियों में इसकी कोई शर्त नहीं है इसलिये किसी भी उम्र का लड़का गोद लिया जा सकता है व हे वह ब्याहा भी हो और उसके सन्तान भी हो।

(१२) दो पुरुष एक ही लड़के को गोद नहीं ले सकते जैनियों में लड़की का लड़का गोद लिया जा सकता है। मारवाड़में भी लड़की के लड़के को गोद लेते हैं मगर कोर्ट इसे उस वक्त तक जायज नहीं मानता जबतक कि ऐसा रिवाज मञ्जूर न हो। दक्षिण में बहनका लड़का गोद लिया जा सकता है। एकलौते लड़के का गोद लेना शास्त्रों में जायज नहीं पर अब कोर्टों के मुताबिक जायज हो गया है।

(१३) पहिले तो दत्तक में शास्त्रों की कई क्रियाएं करनी पड़ती थी परन्तु अब निम्नलिखित रस्में करदी जाना काफी हैं:—

(क) गोद देनेवाले द्वारा दिया जाना और लेनेवाले द्वारा गोद में लियाजाना।

(ख) द्विजोंमें दत्तक हवन होना भी आव
श्यक है।

(ग) पंजाब प्रान्त में और जैन जाति में
दत्तक जायज होने के लिये किसी रस्मकी
जरूरत नहीं।

(३४)दत्तक गया हुआ पुत्र अपने असली कुटुम्बकी
जायदाद का वारिस नहीं होता, परन्तु खूनका
सम्बन्धकायम ही रहता है अत एव वह असली
कुटुम्ब के घटनेवाले गोत्रों में विवाह नहीं कर
सकता। दत्तकपुत्रके जायदाद केलिए वेही अधि
कार होंगे जो कि गोद लेने वाले के औरस पुत्र
के होते अतएव वह गोद लेने वाली माके बाप
अर्थात् (नाना) का भी वारस हो सकता
है। दत्तक आनेके पूर्व उसकी कोई जायदाद रही
हो तो वह उसी की रहेगी।

(३५)दत्तक लेने के बाद यदि एक औरस पुत्र पैदा
हो जाय तो दत्तक पुत्र को औरस पुत्र का
बंगाल स्कूल में ⅓ बनारस स्कूल में ¼ बम्बई
और मद्रास में ⅕ वां हिस्सा मिलेगा।

(१६) दत्तक जाने वालेका उस खानदान में कोई हक नहीं रहता इसलिए अगर गोद किसी वजहसे नाजायज माना जाय तो भी असली खानदान में उस का कोई अधिकार नहीं रहता। यदि दत्तक लेने वालेने दत्तक पुत्र को कोई दान या वसियत बहैसियत दत्तक पुत्र दी हो तो वह नाजायज हो जायगी।

नाबालगी और वलायत

(१) धार्मिक कृत्यों के लिये नाबालगी १५ वर्ष के पूरे होनेपर खतम होती है, इण्डियन मेजारिटी एक्ट के अनुसार कोर्ट से वली (संरक्षक) नियुक्त होने पर २१ वर्ष अन्यथा १८ वर्ष पूरे होने पर नाबालगी खतम होती है।

(२) निम्न लिखित मनुष्य नाबालिग के क्रमानुसार संरक्षक होते हैं—

(ख) स्त्रिओंमें दत्तक हवन होना भी आवश्यक है।

(ग) पंजाब प्रान्त में और जैन जाति में दत्तक जाअज होने के लिये किसी रस्मको जरूरत नहीं।

(३४)दत्तक गया हुआ पुत्र अपने असली कुटुम्बकी जायदाद का वारिस नहीं होता, परन्तु उनका सम्बन्ध कायम ही रहता है अत एव वह असली कुटुम्ब के अडनेवाले गोत्रों में विवाह नहीं कर सकता। दत्तकपुत्र के जायदाद के लिए वेही अधिकार होंगे जो कि गोद लेने वाले के औरस पुत्र के होते अतएव वह गोद लेने वाली माके बाप अर्थात् (नाना) का भी वारस हो सकता है। दत्तक आनेके पूर्व उसकी कोई जायदाद रही हो तो वह उसी की रहेगी।

(३५)दत्तक लेने के बाद यदि एक औरस पुत्र पैदा हो जाय तो दत्तक पुत्र को औरस पुत्र का बंगाल स्कूल में ३ बनारस स्कूल में ४ बम्बई और मद्रास में ५ वां हिस्सा मिलेगा।

(१६) दत्तक जाने वालेका उस खानदान में कोई हक नहीं रहता इसलिए अगर गोद किसी वजहसे नाजायज माना जाय तो भी असली खानदान में उस का कोई अधिकार नहीं रहता। यदि दत्तक लेने वालेने दत्तक पुत्र को कोई दान या वसियत बहैसियत दत्तक पुत्र दी हो तो वह नाजायज हो जायगी।

नाबालगी और वलायत

(१) धार्मिक कृत्यों के लिये नाबालगी १५ वर्ष के पूरे होनेपर खतम होती है, इण्डियन मेजारिटी एक्ट के अनुसार कोर्ट से वली (संरक्षक) नियुक्त होने पर २१ वर्ष अन्यथा १८ वर्ष पूरे होने पर नाबालगी खतम होती है।

(२) निम्न लिखित मनुष्य नाबालिग के क्रमानुसार संरक्षक होते हैं—

१ बाप } कुदरती संरक्षक हैं।
२ मां }

३ वह मनुष्य जिसे बापने अपनी वसीयत के द्वारा नियुक्त किया हो।

४ बाप की तरफ के रिश्तेदार।

५ मांकी तरफ के रिश्तेदार।

६ कोर्ट जिसे नियत करदे।

(३)बाप मृत्युपत्र (वसीयत) द्वारा नाबालिग बच्चे का वली नियुक्त कर सक्ता है, परन्तु मां मृत्यु पत्र द्वारा वली नहीं नियुक्त कर सक्ती।

(४)पत्नी का संरक्षक पति ही होता है; पत्नी चाहे कितनी ही कम उमर की हो पति उसे अपने पास रहने के लिये मजबूर कर सक्ता है।

(५)दत्तक पुत्र का वली (संरक्षक) उसका दत्तक पिता ही होगा न कि उसका असली पिता।

(६)नाबालिग बालिग होने से तीन साल के अन्दर वलीद्वारा बेची या गिरवे रखी गई जायदाद को फिर पाने का दावा दायर करसक्ता है अगर

कानूनी जरूरत के बिना बेचा न या गिरवी किया गया हो।

मुश्तरका खानदान।

अर्थात् अविभक्त परिवार।

(१) अविभक्त परिवार वह कहलाता है जिस में एक कुटुम्ब के बहुतसे लोग शामिल शरीक रहते हों और किसी तरह का अलगाव न हो। आमतौर पर हिन्दू खानदान मुश्तरका होता है इसी लिये अदालत में पहिले शामिलशरीक मान लिया जाता है जबतक इस के खिलाफ साबित न किया जाय।

(२) हिन्दुओं में अविभक्त परिवार का फैलाव बहुत बड़ा है इस में मृतपुरुष के पूर्वज और उनकी संतान, इसी तरह पर नीचेकी शाखा में बहुत दूरतक सम्मिलित परिवार का फैलाव होता है।

सम्मिलित परिवार के मुकाबले हिन्दू कोपार्सनरी का फैलाव बहुत छोटा है।

(३) हिन्दू कोपार्सनरी में केवल वे ही लोग होते हैं जो सम्मिलित परिवार की जायदाद पर नीचे लिखे अधिकार रखते हैं:—

(१) सम्मिलित जायदाद पर कब्जा रखना और उनसे लाभ उठाना।

(२) उस जायदाद पर अपने कर्ज का बोझ डाल सकना।

(३) उस जायदाद को गिरवी करने या बेचने आदि से एक दूसरे को रोक सकना।

और (४) अपनी इच्छा से उस जायदाद का बटवारा करा सकना।

(४) वह आदमी जो कि जायदाद के मालिक को पिंड दान कर सकते हैं वही अपनी पैदायश से मुश्तरका खानदान की जायदाद में हकदार होते हैं अर्थात् पुरुष शाखा में तीन पीढ़ी तक की सन्तान बेटे पोते परपोते को यह हक प्राप्त है। इस प्रकार लड़का आदि तीन सन्तान एक जिंदे

पिंड दिया जाता है उसे मिलाकर चार पीढ़ी होती हैं। इन्हीं चारों के बीच शास्त्रानुसार जो सम्बन्ध है वही कानून मे कोपार्सनरी कहलाता है।

(५) संयुक्त परिवार में मेम्बरों के हक हर एक स्कूल में भिन्न २ होते हैं। दाय भाग में लड़कों को बापके जीतेजी मौरूसी (पैत्रिक) जायदाद में कुछ भी हक नहीं होता। मिताक्षरा में मौरूसी जायदाद के सम्बन्ध में मेम्बर्स के कुछ हक हैं।

(६) मुश्तरका खानदान के सब मेम्बरों के हक का बटवारा हो जाने पर मुश्तरका खानदान टूट-जाता है।

कोपार्सनरी प्रॉपर्टी

(१) हिन्दू ला में उत्तराधिकारा दो प्रकार का मानागया है। एक अप्रतिबंध, दूसरा सप्रतिबंध। जिस जायदाद में आदमी अपने जन्म से ही हक प्राप्त करता है अर्थात् जिसमें कोई प्रतिबंध

(हकदार)न हो वह अप्रतिबन्ध जायदाद कहलाती है। जैसे—बाप, दादा और पर दादा से पाई हुई जायदाद अपने बेटे, पोते और पर पोते के लिए अप्रतिबंध वरासत होगी। क्यों कि बेटे, पोते और पर पोते पैदा होते ही उस जायदाद में हक प्राप्त कर लेते हैं। वह जायदाद जिस में पैदा होने से ही हक नहीं प्राप्त होता लेकिन आखिरी मालिक के मरने पर प्राप्त होता है वह "सप्रतिबन्ध" वरासत (उत्तराधिकार) है, क्यों कि मालिक के जीतेजी उस जायदाद में हक नहीं प्राप्त करसकते इसलिये जो जयदाद बाप भाई, भतीजे और चचाओं आदि को आखरी मालिक के मरने के बाद मिलती है वह सप्रतिबन्ध कहलाती है। क्योंकि इन रिश्ते दारों को अपने जन्म से ही हक नहीं प्राप्त होता उन्हें उत्तराधिकार का सिर्फ एक मौका रहता है कि उस मालिक के मरने के समय जिंदा हुए तो उन्हें उत्तराधिकार मिलेगा।

जायदाद २ प्रकार की होती है—को जायदाद

बापदादाओंसे प्राप्त हुई हो वह मौरूसी (पैत्रिक)कहलाती है। अलाहदा या खुद कमाईकी जायदाद वह है जिसे किसी व्यक्तिने अपने ही प्रयत्न से प्राप्त की हो।

(२) नीचे लिखे तरीके से प्राप्त की हुई जायदाद संग्रह करने वाले की स्वतंत्र (अलाहदा) जायदाद कहलायगी ;—

(१) जो सप्रतिबन्ध दाय के तौरपर प्राप्त हुई हो
(२) दान या इनाम में पाई हुई जायदाद
(३) सरकार से इनाम में मिली हुई जायदाद
(४) जो सम्मिलित परिवार की जायदाद की सहायता बिना विद्या प्राप्त कर कमाई हो।
(५) सम्मिलित परिवार से जो जायदाद निकलगई हो वह परिवार के धन की सहायता बिना प्राप्तकी हो।
(६) अलहदा (स्वतन्त्र) जायदाद की आम दनी से खरीदी हुई दूसरी जायदाद।
(७) जब किसी सम्मिलित परिवारके किसी

आदमी को बटवारे में उसके हिस्से की जायदाद मिली हो और उसके लड़के पोते परपोते न हों।

(३) सम्मिलित परिवार की जायदाद का इन्तजाम आमतौर से बाप या घरका कोई दूसरा बड़ा करता है। इन्तजाम करने वाले को मैनेजर अथवा कर्ता कहते हैं। हर सूरत में बाप सम्मिलित परिवार की जायदाद का कुदरती मैनेजर होता है। हिन्दुओं में सम्मिलित परिवार का होना एक साधारण बात है। परिवार जायदाद ही में नहीं बल्कि खान पान पूजन आदि में भी सम्मिलित ही होता है।

(४) मैनेजर को जायदाद का प्रबन्ध खानदान के लाभके लिये जैसा उचित समझे उसप्रकार करने का अधिकार है। सुविधा की इंतिजामें उसे आमदनी और खर्च पर पूरा अधिकार है, बजट की तरह कम खर्च करने के लिये वह मजबूर नहीं है।

(५) मैनेजर किसी भी समय पिछला हिसाब देने को

मञ्जूर (बाध्य) नहीं किया जासकता वह सिर्फ यह बतलाने का पाबन्द है कि अभी तक कितना रुपया खर्च होगया और कितना बाकी है। अगर मैनेजर ने रुपया निज के काममें या दूसरे ऐसे काममें, जिससे सम्मिलित परिवार का कोई सम्बन्ध नहीं है, खर्च कर दिया है तो वह रुपया लौटाने को जिम्मेवार है।

पैतृकऋण

(१) जब कोई हिन्दू पुत्र या पौत्र (बेटा या पोता) अपने बाप या दादासे अलग न हुआ हो तो हिन्दू लाके अनुसार उस पुत्र और पौत्र का कर्तव्य है कि अपने बाप या दादा का लिया हुआ कर्जा अदा करे, परन्तु यदि कर्जा, मिली हुई जायदाद से अधिक हो तो अधिक की रकम देने के लिये वह जिम्मेवार नहीं होगा।

(२) गैर कानूनी या बुरे कामके लिये बापने कर्ज लिया

हो तो पुत्र उसके चुकाने के लिये जिम्मेवार नहीं
निम्नलिखित कर्ज गैर कानूनी और बुरे मा
गये हैं.—

(१) जो कर्जा शराब पीने के लिये लिया
गया हो।

(२) खेल तमाशा, जुआ खेलने और श
लगाने के लिये लिया हो।

(३) ऐसे इकरार का कर्जा कि जो बिन
बदला पाये किया हो अर्थात् जिस
बदले में कुछ न लिया हो और दे
का इकरार मात्र कर लिया हो।

(४) रंडीबाजी आदि कामेच्छा की पूर्ति
लिये लिया हो।

(३) बापके नीचे लिखे हुए कर्ज कानूनी मानेगये है

(१) बापने अपने बापके श्राद्ध करने
लिये लिया हो।

(२) बेटियोंकी शादी के लिये लिया हो।

(३) खानदानकी इज्जत आबरू बग़ै
रखने के लिये लिया हो।

(४) खानदानके लाभके लिये लिया हो।

(५) गवर्मेंट की माल गुजारी चुकानेके लिये लिया हो।

(६) कुटुम्बकी जरूरतोंके लिये लिया हो।

उत्तराधिकार

(१) मिताक्षरा स्कूलके अनुसार उत्तराधिकार खूनके रिश्ते से कायम होता है, दाय भाग में धार्मिक कृत्यो के अनुसार होता है।

(२) मिताक्षराके अनुसार जब कोई आदमी अपनी मृत्यु के समय अविभाजित परिवार का मेम्बर हो तो उसका हिस्सा बाकी मेम्बरों को मिलेगा मृत्युके समय यदि वह पृथक रहता रहाहो तो उसकी जायदाद उत्तराधिकार के क्रमानुसार वारिसको मिलेगी।

(३) बनारस, मिथिला, और मद्रास स्कूल में वरासत मिलने का क्रम निम्नलिखित है:—

१-३ मृत का लड़का, पोता, पर पोता

४ विधवा

५ लड़की (१ क्वांरी २ ब्याही परन्तु गरीब ३ ब्याही एवं धनवान)
६ लड़की का लड़का
७ माता (८) पिता (९) सहोदर भाई, सौतेला भाई (१०) भाई का लड़का (११) भाई के लड़के का लड़का (१२) भानजा (१३) पोती

उपरोक्त क्रम समाप्त नहीं है परन्तु साधारण पाठकों के लिये इतनी ही संख्या मालूम करना पर्याप्त है।

(४) जब किसी आदमी के मरने पर उसका कोई वारिस न हो तो उसकी जायदाद की मालिक सरकार होती है। साधु के मरने पर उसका चेला उत्तराधिकारी होता है।

(५) निम्नलिखित व्यक्ति उत्तराधिकार से वंचित हैं अर्थात् उन्हें जायदाद नहीं मिल सकती।

१ व्यभिचारिणी विधवा अपने पति की जायदाद की वारिस नहीं हो सकती लेकिन यदि वह व्यभिचारिणी होने से पहिले जायदाद की मालिक होचुकी हो तो पीछे

व्यभिचारिणी होनेसे हक नहीं मारा जासकता।

२ नामर्द (३) जन्मान्ध, (४) जन्मसे बहरा गूंगा, पङ्गु।

(५) हत्यारा-कोई आदमी उस मनुष्यकी जायदादका वारिस नहीं हो सकता जिसकी हत्या में वह शरीक रहा हो।

(६) जिसने संसार त्याग दिया हो वह भी वारिस नहीं होसकता।

यदि किसी पुरुष या स्त्री का एक बार जायदाद मिलनेका हक पैदा होगया हो तो पीछे होने वाली किसी अयोग्यताके कारण वह जायदाद उसके कब्जे से नहीं हटाई जासकती।

१८—जाति च्युत होने या धर्म त्यागदेने से कोई वरासत से च्युत नहीं हो सकता।

भरण पोषण

नीचे लिखे लोग भरण पोषण के खर्च पानेके अधिकारी माने गये हैं-

१ अज्ञान पुत्र २ अनौरस पुत्र ३ क्वांरी कन्या, ४ पत्नी, ५ पिठलाईहुई औरत, ६ विधवा ७ माता ८ पुत्र वधू, ९ बिन-व्याही बहन १० उत्तराधिकार से वंचित वारिस ११ सौतेली माता।

पिताका कर्तव्य है कि वह अपने अज्ञान बालकोंकी परवरिश करे। पिता अपने अनौरस पुत्र का भी पालन करने को जिम्मेवार है परन्तु उसके मरनेपर जायदाद पर जिम्मेवरी नहीं होती; बिन व्याही लड़कियों के भरणपोषण का भार भी पिता पर है यदि पिता मर जाय तो वे उसकी जायदाद से ऐसा खर्च वसूल कर सकती हैं। पत्नी अपने पति से भोजन वस्त्र, निवासस्थान और हैसियतके अनुसार धार्मिक कार्योंके लिये खर्च पाने की अधिकारिणी है। विधवा अपने पतिकी जायदाद से परवरिश पाने की

अधिकारिणी है। इसी प्रकार विधवा माता अपने पुत्र से और पुत्र के मरने पर उसकी जायदाद से भरण पोषण पासक्ती है।

ज्यों ही भरण पोषण का उचित खर्च देना रोक दिया जाय उसी समय उसे खर्च के पाने का दावा करनेका अधिकार प्राप्तहो जाता है।

स्त्रीधन।

(१) स्त्रियों के पास दोप्रकार की सम्पत्ति होती है एक तो वह जिसमें उसे रहन बय (बेचना) आदि का अधिकार रहता है, यही धन स्त्री धन कहलाता है। दूसरे प्रकार की सम्पत्ति पर स्त्री को आजीवन भरण पोषण का भार रहता है पर वह उसे रहन या बय नहीं कर सकती उसकी मृत्यु पर वह जायदाद उसके पतिके उत्तराधिकारियों को प्राप्त होती है।

(२) स्त्री धन निम्नलिखित प्रकारका होता है।

यौतुक (क) जोकुछ ठीक विवाहाग्निके सम्मुख दियाजाय।
(ख) जो विवाहके उत्सव में मिले।
(ग) शुल्क-वह द्रव्य जो लड़के वाला लड़की वाले को (लड़कीके लिये) देता है।
(घ) अधिवेदनिक-वह धन जो दूसरा विवाह करने के समय पति अपनी पहिली पत्नी को दे।
(ङ) अन्वाधेयक-वह धन जो विवाहके पश्चात् अपने या पतिके कुटुम्ब से मिले।
(च) भरण पोषण के लिये जो जायदाद स्त्री को दी गई है।
(छ) कारे धन में मिला हुआ धन
(ज) प्रीति दत्त-पतिका दिया हुआ धन।
(झ) धन, जो भेंटकी तौरपर कुटुम्बी या इष्टमित्र विवाह के बाद दें।
(ञ) सरकार से मिला हुआ धन।
(ट) खुदका कमाया हुआ धन।

(ठ) उत्तराधिकार में मिला हुआ धन।
(ढ) स्त्री धन से खरीदी हुई जायदाद।
(ड) कब्जा मुखालफाना (जबरदस्ती) से प्राप्त किया हुआ धन।
(ण) वह धन जो स्त्री को पति या उसके कुटुम्बियों या अपने कुटुम्बियों से मिले।

उपरोक्त प्रकार की जायदाद पर स्त्री को ही पूर्ण अधिकार है वह चाहे जिस प्रकार उसे खर्च कर सकती है।

आपत्तिकाल में ही पति स्त्री की रजामन्दी के बिना भी स्त्री धन खर्च कर सकता है।

स्त्रीधन की वरासत भी साधारण वरासत से भिन्न होती है।

बटवारा

(१) मिताक्षरा स्कूल के अनुसार हर एक बालिग को पार्टनर जबरदस्ती संमिलित परिवार की जाय-

दादा का बटवारा करा सकता है लेकिन शर्त यह है कि पिता के जीवित रहते दादा और पोते में या पिता और दादा के जीवित रहते परदादा और परपोते के दरमियान बटवारा नहीं हो सकता।

(२) जब कोई कोपार्सनर नाबालिग हो और यह देखा जाय कि जायदाद के सम्मिलित रहने से उसका नुकसान होता है या बटवारे से नाबालिग का लाभ देखा जाय तो उसकी ओरसे बटवारे का दावा हो सकता है।

(३) जब बाप और बेटों में परस्पर बटवारा हो जाय और उसके पश्चात् उस बापके कोई पुत्र उत्पन्न होतो जायदाद का पुन बटवारा न होगा अर्थात् भाइयों की जायदाद में से उसे कुछ न मिलकर पिताका हिस्सा उसे प्राप्त होगा।

(४) जब बाप और बेटों के परस्पर बटवारा हो तब एक पुत्र के बराबर बापकी पत्नी या पत्नियों (माताओं) का भी हिस्सा होगा। पितामह भी एक हिस्सा होगा।

स्त्रियों और विधवाओं को हिस्सा देते समय

यह देखलिया जायगा कि उनके पति या ससुर से कोई जायदाद मिली थी या नहीं। यदि मिलीथी तो उतनी जायदाद का मूल्य कम करके उसे हिस्सा दिया जायगा।

(५) बाप और बेटों के परस्पर बटवारा होने पर हर एक बेटा बापके हिस्से के बराबर हिस्सा पाताहै उदाहरणार्थ किसी पिता के तीन पुत्र हों तो जायदाद चार बराबर हिस्सों में बँटेगी। जब भाइयों में परस्पर बटवारा हो तो हर एक भाई बराबर हिस्सा पावेगा।

(६) मनक़ूला और ग़ैर मनक़ूला हरप्रकार की कोपार्सनरी प्रापर्टी का बटवारा हो सकता है। जिस जायदाद का प्राचीन और न बदलने वाले रिवाज के अनुसार यह नियम हो कि समग्र जायदाद एक ही वारिस को मिले तो वह बांटी नहीं जासकती उदाहरणार्थ राज्य या ज़मींदारियों के बटवारे नहीं होते।

को साक्ष होना आवश्यक है। ऐसे दानपत्र की रजिस्ट्री कराना भी जरूरी है।

चल सम्पत्ति का दान अचल सम्पत्तिके दान की तरह, अथवा कब्जा दे देने से हो जाता है।

(३) प्रत्येक हिन्दू अपने अधिकार की जायदाद दान करसकता है। अतएव प्रत्येक व्यक्ति अपनी कमाई हुई कुल सम्पत्ति का दान करसकता है पर पैतृक सम्पत्ति का थोड़ासा हिस्सा ही आवश्यक धार्मिक कार्य में दान दिया जा सकता है।

(४) स्त्री अपना स्त्रीधन दान करसकती है पर अन्य जायदाद जिसपर उसे केवल आजीवन अधिकार है, उसका बहुत साधारण भाग लड़की के विवाह, पति के श्राद्ध आदि आवश्यक धार्मिक कामों में खर्च कर सकती है।

(५) पतिका दान पत्नी को—सामान्य सिद्धान्त तो यह है कि जब पति अपनी पत्नी को जायदाद में बिना स्पष्ट अधिकार दिये कोई दान करदेता है तो पत्नी को उसमें केवल आजीवन अधिकार रहता है इसलिये जब कोई अचल

सम्पत्ति पत्नी को दीजाय तो दस्तावेज में साफ २ लिख दिया जाय कि उसे सम्पूर्ण अधिकार दिये गये हैं।

(६) मृत्यु के समय दान (डोनेशियो मार्टिस काज़ा)-यह दान साधारण दान से इस प्रकार भिन्न है कि यह सख्त बीमारी के समय दिया जाता है और इस का असर तबही होगा जब कि देने वाले की मृत्यु हो जाय, यदि वह अच्छा हो जाय तो दान नहीं माना जाता। इस दान के लिये लिखापढ़ी रजिस्ट्री, आदि की आवश्यकता नहीं होती। देने वाला ऐसे दान को मन्सूख़ (रद्द) कर सकता है।

मृत्युपत्र—वसीयत।

(१) जिस दस्तावेज़ के ज़रिये से लिखने वाला यह इरादा प्रकट करे कि उसकी मृत्यु के पश्चात् उसकी जायदाद का इस प्रकार प्रबन्धकिया जाय वह मृत्युपत्र कहलाता है।

दान और वसीयत में बड़ा भेद यह है कि दान उचित रीति से किये जाने पर मंसूख (रद्द) नहीं हो सकता। वसीयतनामा लिखने वाला जब चाहे उसे रद्द कर सकता है चाहे उसकी रजिस्ट्री भी होचुकी हो।

(२) दान और वसीयत कौन कर सकता है—कोई भी हिन्दू जिसकी विचार शक्ति दुरुस्त हो और जो नाबालिग न हो वह दान या वसीयत के तौर पर सब जायदाद, जिसमें उसे पूरा अधिकार हो, देसकता है।

(३) वसीयत लिखने वाला वसीयत पर अपने हस्ताक्षर करे और उस पर दो गवाह ऐसे मनुष्यों की गवाही करादे वह ऐसे हों कि उन्होंने वसीयत करने वाले को वसीयत पर हस्ताक्षर या चिन्ह करते देखा हो या जिनके सामने अपने हस्ताक्षर या चिन्ह स्वीकार किया हो।

(४) हिन्दू अपनी जायदाद जिसको चाहे दान या वसीयत से द्वारा देसकता है मगर शर्त यह है कि अपनी स्त्री या अन्य किसी भरण पोषण का अधिकार रखने वाले के लिये अलग

प्रबन्ध कर दे।

(४) वसीयत करने वाले की मौत के समय वसीयत पाने वाला वास्तव में अथवा कानून की दृष्टि में जीवित होना चाहिये। दान भी वही सही माना जा सकता है जिसे पाने वाला दान के समय जीवित हो।

(५) वसीयत नामा नीचे लिखे तरीके से रद्द किया जा सकता है—

१ पक्के से दूसरा वसीयतनामा लिखने से।

२ किसी समाचार पत्र, नोटिस आदि द्वारा पहिली वसीयत रद्द करने से।

३ वसीयत नामा जला देने, फाड़ डालने आदि से।

धार्मिक और खैराती धर्मादे

(रिलीजस एण्ड चेरीटेबल गिफ्ट्स)

(१) धर्मादों का उद्देश्य—हिन्दुस्थान में धार्मिक

(४) अगर कोई ऐसा चाहे कि उसकी जायदाद किसी आदमी के जीवन समाप्त होने के बाद धर्मादे में लगा दी जाय तो इससे कोई हर्ज नहीं।

(५) प्रत्येक हिन्दू जो अपने होश हवाश में ठीक हो और नाबालिग न हो अपनी मालिकी की जायदाद के सम्बन्ध में ट्रस्ट कर सकता है।

(६) धर्मादे का निश्चित होना आवश्यक है—धर्मादा किस उद्देश्य से और ठीक २ कौनसी तथा कितनी जायदाद उसके लिये रक्खी गई है यह सब बातें निश्चित रूप से सरल और साफ २ भाषामें लिखी जानी चाहिये। केवल यह लिखना कि "धर्म में लगाया जाय" अनिश्चित है अतएव धर्मादा कायम नहीं होता इसी प्रकार यह लिखना कि "अच्छे काम में लगाया जाय" "खास और उचित काम में लगाया जाय" आदि भी अनिश्चित होने के कारण इनसे धर्मादा कायम नहीं होता।

(७) यदि धर्मादा करने वाले ने ट्रस्ट कायम कर दिया हो पर उसको किस जायदाद में से चलाया

जाय यह साफ नहीं किया हो तो अदालत यह निश्चित करेगा कि धर्मादे का इन्तजाम कैसे किया जाय।

(८) हिन्दू लोग अक्सर मंदिरों और मठों के लिये धर्मादा कायम करते हैं। मंदिर वह कहलाता है जिसमें किसी देवता की पूजा होती है और मठ वह है जिसमें साधु सन्यासी परिव्राजक या महात्मा रहते हैं।

(९) मठ का अधिकारी ब्राह्मण हो तो महंत, स्वामी, गोस्वामी या सन्यासी कहलाता है अगर शूद्र हो तो दरादसी या जोर कहलाता है। मठ के अधीश की हैसियत साधारण मैनेजर से अधिक होती है। यद्यपि वह मठ की जायदाद को इन्तकाल (परिवर्तन) नहीं कर सकता फिर भी जो कुछ चढ़ावा या दक्षिणा आवे उसपर उसका पूरा अधिकार होता है।

(१०) मठ का महन्त अपना निज की जायदाद भी रख सकता है और उसकी वह जायदाद मठ की जायदाद नहीं समझा जायगी उसकी नियुक्ति संप्रदाय या मठ के रस्म के माफिक होगी।

(११) स्त्रियां भी धर्मादे की मैनेजर नियुक्त की जा सकती हैं। जिसने धर्मादा कायम किया हो वह स्वयं भी ट्रस्टी हो सकता है।

(५) महकमे माल (रेवन्यू डिपार्टमेंट) के अफसर द्वारा किये गये बटवारे की लिखापढ़ी।

(६) गिरवीनामे की पीठपर कोई ऐसी लिखावट जिसमें गिरवी की कुल या कुछ रकमकी वसूली लिखी हो या दूसरी कोई रसीद जिसमे गिरवी का अन्त होना न पाया जाय परन्तु यदि कोई ऐसी बात लिखी हो जिससे यह मतलब हो कि गिरवीनामे का अन्त होगया तो उसकी रजिस्ट्री आवश्यक होगी।

नोट—यदि किसी ऐसी दस्तावेज की रजिस्ट्री करादी जाय जिसकी रजिस्ट्री कराना आवश्यक न हो तो इससे कोई हानि नहीं होती।

(४) रजिस्ट्री कराई जाने वाली दस्तावेजऐसी भाषा में लिखी हुई हो जो उस जिले में प्रचलित हो जहां रजिस्ट्री कराई जानेको है। यदि ऐसी भाषामें न लिखी गई हो तो उस भाषामें सही

अनुवाद साथ में लगाये बिना रजिस्ट्री न हो सकेगी। दफा १६

(५) दस्तावेज साफ २ बिना काट कूट के लिखा जाना चाहिये यदि कहीं कोई शब्द काटे जायँ तो वहां लेखक के हस्ताक्षर कराये जाय एवं दस्तावेज में इस बात का जिक्र किया जाय। दफा २०

(६) रजिस्ट्री कराई जाने वाली दस्तावेज में जिन मुकामों का वर्णन हो उनकी चौहद्दी खेत व मुकामों के नम्बर इत्यादि का वर्णन आवश्य लिखा जाना चाहिये। नक्शे की आवश्यकता हो तो नक्शा भी साथ दिया जाय। दफा २१

रजिस्ट्री कराने की मियाद।

(७) मृत्युपत्र के सिवाय बाकी सब दस्तावेजें लिखी जाने से चार महीने के अन्दर रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्री के लिये पेश

होना चाहिये वरना रजिस्ट्री न हो सकेगी। दफा २३

(८) यदि किसी दुर्घटना या खास कारण से यह मयाद समाप्त हो जाय तो रजिस्ट्रार, फीस रजिस्ट्री से दस गुना तक जुर्माना लेकर, आगे के ४ महीने में रजिस्ट्री करा लेने की आज्ञा दे सकता है। दफा २५

(९) यदि दस्तावेज बृटिश भारत से बाहर लिखी गई हो तो उसके बृटिश भारत में आने से चार महीने के अन्दर रजिस्ट्री के लिये पेश होना चाहिये। दफा २६

रजिस्ट्री कराने का स्थान।

(१०)१ स्थावर सम्पत्ति से सम्बन्ध रखने वाली दस्तावेज की रजिस्ट्री उसी सबरजिस्टार के यहां होगी जिस के हल्के (ज़िले) में स्थावर सम्पत्ति का कुछ भी भाग स्थित (कायम) हो। दफा २८

२ दूसरी दस्तावेजों की रजिस्ट्री ऐसे सब-रजि

स्ट्रार के यहां होगी जिसके हल्के में दस्तावेज लिखी गई हो या किसी अन्य सब रजिस्ट्रार के यहा होगी जहा कि दस्तावेज लिखने वाले और उससे लाभ उठाने वाले सब लोग चाहें।
दफा २९

(११) कलकत्ता बम्बई मद्रास और लाहोर के रजिस्ट्रार उपरोक्त १० (१) में वर्णित दस्तावेजों की रजिस्ट्री अपने यहा कर सकता है चाहे उनमें वर्णित जायदाद वृटिश भारत के किसी भी भाग में क्यों न स्थित हो। दफा ३०

(१२) साधारणतया रजिस्ट्री कराने के लिये रजिस्ट्रार के दफ्तर में उपस्थित (हाजिर) होना आवश्यक होता है परन्तु विशेष कारण होने पर रजिस्ट्रार घर पर भी आसकता है। दफा ३१

मृत्युपत्र

(१३) मृत्युपत्र लिखने वाला कोई भी शख्स अपना

मृत्युपत्र मुहरबन्द लिफाफे में रख कर उस पर मृत्युपत्र करनेवाले का नाम आदि लिखकर अमानत के लिये रजिस्ट्रार के पास रख सकता है। रजिस्ट्रार उसे एक लोहे की तिजोरी में रखेगा, अगर वह शख्स कभी उसे वापस लेलेना चाहे तो रजिस्ट्रार उसे वापस देदेगा। मृत्युपत्र लिखने वाले की मृत्यु का प्रमाण पहुंचने पर रजिस्ट्रार दरख्वास्त करने वाले के सन्मुख उस लिफाफे को खोलेगा और उस के खर्च से नकल करादेगा। दफा ४२-४५

रजिस्ट्री कराने और न कराने का असर।

(१४) रजिस्ट्री की हुई दस्तावेज का असर उसके लिखे जानेकी तारीख से होगा न कि रजिस्ट्री करानेकी तारीख से। दफा ४७

(१५) जिन दस्तावेजों को रजिस्ट्री आवश्यक नहीं उनमें साधारणतया रजिस्ट्री की हुई दस्तावेज का असर चल और अचल (movable and immovable) सम्पत्ति के सम्बन्ध में जबानी इकरार से अधिक असर रक्खेगा यदि इकरार के बाद ही उस वस्तु का कब्ज़ा भी न देदिया गया हो। दफा ४८

(१६) यदि किसी ऐसी दस्तावेज की रजिस्ट्री न कराई जावे जिसकी रजिस्ट्री इस कानून के अनुसार आवश्यक हो तो उस दस्तावेज की शाहादत न लीजायगी और न दस्तावेज से किसी सम्पत्ति पर कोई असर होगा। दफा ४६

(१७) सिवाय उस सूरत मे कि जब सबरजिस्ट्रार इस वजहसे रजिस्ट्री करने से इन्कार करे कि जायदाद जिसकी रजिस्ट्री कराई जारही है उसके इलाके में नहीं है, (बाकी किसी और वजह से इन्कार करेगा) तो इन्कार करने का कारण रजिस्टर में लिखेगा और दस्तावेज पर ये शब्द लिख देगा कि रजिस्ट्री करने से इन्कार किया गया यदि कोई दस्तावेज का हकदार चाहेगा तो इन्कार करने के कारण की नकल बिगैर खर्च और बिगैर देरी के उसे दीजायगी। दफा७१

(१८) ऐसे इन्कारी के हुक्म की अपील तारीख हुक्म से ३० दिन के अन्दर उस रजिस्ट्रार के यहा की जासकती है जिसकी अधीनता में वह सब रजिस्ट्रार हो। यदि रजिस्ट्रार अपील मंजूर कर यह हुक्म दे कि दस्तावेज की रजिस्ट्री की

जाय तो उस हुक्म से ३० दिन के अन्दर दस्तावेज पेश होने पर सबरजिस्टार रजिस्ट्री कर देगा वरना रजिस्ट्री न होगी। दफा ७२

(१९) यदि सबरजिस्टार इस वजह से रजिस्ट्री करने से इन्कार करे कि जिस व्यक्ति की ओर से दस्तावेज का लिखा जाना पाया जाता है वह उस को लिखा जाना मंजूर नहीं करता तो ऐसे हुक्म के खिलाफ ३० दिनके अन्दर उस रजिस्टार के पास दरखास्त देनी चाहिये जिसके मातहत वह सबरजिस्ट्रार है। रजिस्ट्रार इस बात की जांच करेगा कि दस्तावेज इस व्यक्तिने लिखी या नहीं और उसे यदि मालूम हो कि उस व्यक्तिने ही लिखी है तो वह दस्तावेज की रजिस्ट्री का हुक्म देगा। हुक्म से ३० दिन के अन्दर उस की रजिस्ट्री हो सकेगी। दफा ७३-७४

(२०) यदि रजिस्ट्रार रजिस्ट्री करने से इन्कार करे या उसको दी हुई दरखास्त या अपील नामजूर करदे तो वह नामजूरी का कारण रजिस्टर में दर्ज करेगा और उस की नकल पक्षकार को

मांगने पर फौरन देगा। पक्षकार चाहे तो ऐसे हुक्म से ३० दिन के अन्दर अदालत दीवानी में ऐसी डिगरी पाने की नालिश कर सकता है। कि "दस्तावेज़ की रजिस्ट्री की जाय" और यदि ऐसी डिगरी मिल जाय तो ३० दिन के अन्दर रजिस्ट्री के लिये दस्तावेज़ पेश करे।

दफा ७५, ७६, ७७

कानून मियाद।

(१) यह कानून सम्पूर्ण वृटिश भारत में १ जनवरी १९०९ से काम में आया है।

(२) हर एक नालिश, अपील और दरखास्त जो मुकर्रर मियाद के बाद पेश की जायगी वह खारिज करदी जायगी चाहे सामने वाला फरीक मियाद का उज्र न भी उठावे। दफा ३

(३) यदि किसी नालिश, अपील या दरखास्त की मियाद कोर्ट की तातील के रोज खतम होती हो तो वह उस दिन पेश की जा सकती है जिस

दिन फिर अदालत खुले, उदाहरणार्थ किसी नालिश की मियाद २५ दिसम्बर को खतम होती हो और उस दिन क्रिसमस की वजह से कोर्ट बंद हो तो नालिश उस दिन दायर की जा सकती है जिस दिन कोर्ट खुले चाहे दो एक दिन की छुट्टी हो, एक हफ्ते की हो, चाहे एक महीने की हो।   दफा ४

(४) कोई अपील या दरखास्त मियाद खतम होने के बाद भी मंजूर की जा सकती है जब कि उसे पेश करने वाला अदालत को विश्वास करादे कि मियाद के भीतर दरखास्त या अपील दाखिल न कर सकने के लिये पर्याप्त (काफी) कारण था   दफा ५

ध्यान रहे कि यह नियम नालिशों के लिये लागू नहीं होता यह केवल अपीलों और दर खास्तों के लिये है।

(५) यदि किसी व्यक्ति को नालिश दरखास्त आदि करने का अधिकार उस समय प्राप्त हो जाय कि वह नाबालिग, पागल या जड़ हो तो उसके लिये मियाद ऐसी नाकाबलियत (disability

अयोग्यता) अर्थात् पागलपन, नाबालिगी आदि के समय से शुरू होगी।

यदि वह मियाद शुरू होने के समय ऐसी दो अयोग्यताओं से युक्त हो, या एक के बाद हो दूसरी अयोग्यता में पड़ जाय तो उसके लिये मियाद इन सब अयोग्यताओं के दूर होने के समय से गिनी जायगी।

यदि वह व्यक्ति मरते समय तक इन अयोग्यताओं से युक्त रहा हो तो उसके वारिस (उत्तराधिकारी) के लिये मियाद उसके मरने के समय से प्रारम्भ होगी।

यदि ऐसा उत्तराधिकारी भी उस व्यक्ति की मृत्यु के समय से अयोग्यता युक्त रहा हो तो उसके लिये भी उपरोक्त नियम लागू होंगे।

दफा ६

उदाहरणार्थ श्याम को एक नालिश दायर करने का हक १९२० में प्राप्त हुआ (जिसकी मियाद ३ साल की है) उस समय वह पागल था और उसी दशा में १९२५ में वह मर गया उस का वारिस राम उस समय नाबालिग था। उसकी नाबालगी १ मई १९२८ को दूर हुई

तो वह १ मई १९३१ तक दावा दायर कर सकता है। यानी श्याम के पागलपन और उसके वारिस की नाबालगी का समय मियाद में नहीं गिना जायगा।

(६) यदि कई व्यक्तियों को नालिश करने का अधिकार हो और यदि उनमें से एक को ऐसी अयोग्यता हो, और यदि उस व्यक्ति की रज़ामन्दी बिना फारखती या छूट न हो सकती हो तो इन सब लोगों के लिये मियाद उसकी अयोग्यता दूर होने से शुरू होगी। यदि छूट या फारखती हो सकती हो तो मियाद सब के लिये फौरन ही शुरू होगी। दफा ७

(७ दफा ६ और ७ हक शुफा के दावे के लिये लागू नहीं होती और न इनसे मियाद ३ साल से अधिक बढ़ाई जा सकती है। उदाहरणार्थ राम को एक ऐसा दावा करने का हक है जिसकी मियाद ६ साल की है किन्तु वह ५ साल तक पागल रहा तो पागलपन दूर होने के समय से ३ साल की मियाद मिलेगी। दफा ८

(८) मियाद एक दफा शुरू हो जाने के बाद फिर

नहीं रुकती अर्थात् मियाद शुरू हो जाने के बाद नाकाबलियत Disability के कारण मियाद नहीं बढ़ाई जा सकती । उदाहरणार्थ राम को एक दावा करने का हक १९१४ में प्राप्त हुआ परन्तु १९१५ में वह पागल हुआ इस पागलपन के कारण मियाद नहीं बढ़ाई जा सकती । क्योंकि मियाद पागल होने के पहिले ही शुरू हो गई थी । दफा ९

(९) नालिश, अपील या दरख्वास्त के लिये जो मियाद मुकर्रर है उनका हिसाब लगाने में वह दिन छोड़ दिया जायगा जिस दिन से मियाद गिनी जाती है ।

अपील की मियाद गिनने में वह दिन जिस रोज फैसला सुनाया गया और वह समय जो फैसले और डिग्री की नकल लेने में लगा है, गिनती में नहीं लिया जायगा । दफा १२

(१०) नालिश की मियाद गिनने में वह वक्त गिनती में न लिया जायगा जब तक कि मुद्दा-यलेह(प्रतिवादी) बृटिश भारत के बाहर रहा हो । दफा १३

(११) अगर कोई नालिश या डिग्री की इजराय किसी हुक्म से रोकी गई हो तो मियाद गिनते समय, जितने दिन तक हुक्म जारी रहा उतने दिन गिनती में नहीं लिये जायंगे। दफा १५

(१२) किसी व्यक्ति (मुद्दई) को नालिश का हक पैदा हो उसके पहिले ही वह मर जाय या कोई मुद्दायलेह जिसके खिलाफ नालिश का हक पैदा होता हो वह ऐसा हक पैदा होने के पेश्तर ही मर जाय तो जब तक मुद्दई या मुद्दायलेह के वारिस कायम न हों मियाद नहीं गिनी जायगी। दफा २०

(१३) किसी हक की मियाद खतम होने के पहिले ही, उस हक के बाबत मुद्दायलेह नई लिखावट लिख दे और अपने दस्तखत करदे तो मियाद फिर से नई शुरू हो जायगी और उस समय से गिनी जायगी जब कि ऐसी लिखावट हुई हो। दफा १९

(१४) जब कि मियाद गुजरने से पहिले ही सूद या असल रकम का कुछ हिस्सा जमा करदिया गया था और ऐसी अदायगी (सिवाय उस सूरत के जब कि रकम १ जनवरी १९२८ के

पहिले अदा की गई है) देनदार या उसके मुकर्रर किये हुए एजंट ने अपने हाथ से लिखकर की हो तो मियाद ऐसी अदायगी की तारीख से गिनी जायगी।

१५ जब किसी नालिश के दायर हो जाने बाद किसी को नया मुद्दई या मुद्दायलेह बनाया जाय तो ऐसे नये मुद्दई या मुद्दायलेह के विरुद्ध मियाद उस रोज तक गिना जायगी जब कि वह मुद्दई या मुद्दायलेह बनाया गया हो (न कि उस रोज तक जब कि नालिश दायर की गई थी) दफा २२

१६ मियाद गिनने के लिये अंग्रेजी केलेण्डर के माफिक तारीखों से हिसाब रहेगा अर्थात् जहां लिखावट में हिन्दी तिथि या मुसलमानी तारीख लिखी हो तो मियाद उस रोज की अंग्रेजी तारीख से गिनी जायगी। दफा२५

मुख्य २ मियादें।

जात नालिश	मियाद	कबसे गिनी जायगी
(१) नालिश बमूजिब एक्ट दादरसी दफा ९	छ महीना	उस तारीख से जब बेदखली हो। मद ३
(२) दिलापाने तनखा घरू नौकरों, कारीगर की या मजदूर की।	एक बरस	उस रोज से जब कि तनखा या उजरत वसूल होनी चाहिये थी मद ७
(३) पायत कीमत खुराक, और शराब जो हो-टल सराय या शराबखाने के मालिक ने बेची हो।	,,	उस तारीख से जब खुराक या शराब दी जाय। मद ८

(४) बाबत हक— शुफा चाहे हक, कानून, रिवाज, या ठहरावसे कायम हो	एकसाल	जबकि खरीददारने वेबान पूरा कराया हो।
		मद १०
(५) उजरदारी जो किसी इजराय डिकरी में कुर्क किये हुए माल के निस्बत हो	,,	तारीख हुक्म अदालतसे
		मद ११
(६) बाबत रद कराने नीलाम (क) जो इजराय डिग्री में हो। (ख) कलक्टर या दूसरे माल (रेवेन्यू) के	,,	उसतारीख से जब कि नीलाम पूरा या मंजूरहो।

(१४)नालिश नाबालिग की तरफ से(जो अब बालिग हो गया है)वास्ते रद कराने तेचान (परिवर्तन) जो संरक्षक (वली गार्डियन) ने किया हो–	तीन साल	उस तारीख से जब नाबालिगी दूर हुई हो। मद ४४
(१५)नालिश बाबत किराया जानवर,सवारी, नाव,या घरू असबाब	,,	उस तारीख से जब कि किराया अदा होना चाहिये था मद ५०
(१६)नालिश बाबत बेचे हुए माल की कीमत की जब कि कीमत अदा करने का कोई अलग	,,	माल देने की तारीख से

इकरार न हुआ हो		मद ५२
(१७)अगर कोई इकरार अदा करने के लिये हुआ हो	,,	इकरार की मुद्दत गुजरने की तारीख से मद ५३
(१८)जब कि कीमत बिल आफ एक्स-चेंज (हुंडी) से अदा होना हो और वह हुंडी न दी जाय		जब हुंडी की मुद्दत गुजर जाय। मद ५४
(१९)नालिश उस रुपये के बाबत जो उधार दिया गया हो		उस तारीख से जब करजा दिया गया हो मद ५७
(२०)नालिश ऐसे करजे की जो मांगने पर अदा किये	,,	,,

दूसरे पर हो			मद ७४
(२८)नालिश मुनाफेका हिस्सा करने के लिये जब पार्टनरशिप (हिस्सेदारी) रद होगई हो	तीन साल	हिस्सेदारी रद होने की तारीख से	मद १०६
(२९)नालिश इस बाबत कि जिस व्यक्ति का गोद लेना कहा जाता है वह वास्तव में गोद नहीं-लिया गया या ऐसा गोद नाजायज़ है।	छेसाल	जब से गोद लेने की बात का हाल मुद्दई को मालूम हो	मद ११८
(३०)नालिश इस बात को तय करने की कि किसी व्यक्ति का गोद लेना जायज(कानूनन सही)है	,,	उस समय से जब कि किसी गोद आये हुए लड़के के अधिकारों में हस्तक्षेप किया	

		जाय।
		मद ११९
(३१) अगर किसी नालिश की मियाद— कानून मियाद की किसी मद में न लिखी हो	छह साल	उस समय से जब कि नालिश का हक पैदा हो।
		मद १२०
(३२) किसी हिन्दू की तरफ से अन्न कपड़ा पाने की नालिश	बारह साल	उस तारीख से जब कि खाना, कपड़ा मिलना चाहिये था।
		मद १२८
(३३) उस स्थावर सम्पत्ति के कब्जे की जिस में से मुद्दई बेदखल करदिया गया हो	"	बेदखल किये जाने की तारीख से
		मद १४२
(३४) स्थावर सम्पत्ति को पाने की	"	जब से कि मुद्दई के खिलाफ

नालिश जब कि कानून मियाद में दूसरी कोई मियाद न लिखी हो	किसी ने कब्ज़ा ले लिया हो। मद १४४

अपील करने की मियाद।

(१) सेशन जज के द्वारा दीगई मौत की सजा के विरुद्ध हाई कोर्ट में अपील	७ दिन	सज़ा का हुक्म सुनाने से। मद १५०
(२) दीवानी दावे की अपील डिस्ट्रिक्ट जजी में	३० दिन	डिग्री या हुक्म की तारीख से मद १५१
(३) हाई कोर्ट के सिवाय किसी	३० दिन	सजा की तारीख से

दूसरी अदालत में फौजदारी मुकदमें की		मद १५४
(४)हाई कोर्ट में ऐसी अपील के लिये	६० दिन	,, मद १५५
(५)हाई कोर्ट में दीवानी दावे की अपील	९० दिन	उस डिग्री या हुक्म की तारीख से जिसकी अपील की जाती है मद १५६

दरख्वास्त ।

(१)पंच फैसला रद्द कराने की दरखास्त	१० दिन	उस तारीख से जब फैसला अदालत में पेश किया जाय । मद १५८
(२) एक तर्फा फैसला	३० दिन	उस दिन से जब

राम और श्याम साझेदार हैं।

(घ)राम और श्याम दो सुनार साथ साथ काम करते हैं, चीजें बिकने पर मुनाफा सब राम रखता है और श्याम तनखा पाता है यह कोई साझेदारी नहीं है।

दफा २३९ कांट्रेक्ट एक्ट।

(२)जो शख्स व्यापार कर रहा है या करना चाहता है उसे कोई मनुष्य रुपया इस शर्तपर उधार देता है कि व्याज का दर मुनाफे के हिसाब से घटता बढ़ता रहेगा, तो केवल इस शर्त के कारण ही यह नहीं माना जायगा कि उनका आपस में साझा है। दफा २४०

यदि कोई दूसरा इकरार न हुआ हो तो पहिले के किसी साझेदार के वारिसों की तरफ से साझे में लगा हुआ रुपया ऊपर की दफा के माफक कर्ज ही माना जायगा। दफा २४१

(३)यदि किसी नौकर या एजेंट को साझे की आमदनी का कोई नियत हिस्सा, तनखा या महनताने की तरह दिया जाय और कोई दूसरा इकरार न हुआ हो तो केवल इस शर्त से

कारण ही साझा नहीं माना जायगा। दफा २४२

(४) मरे हुए साझेदार का कोई बच्चा या वेवा अगर साझे में से कोई रकम परवरिश की तौर पर पाता हो तो इसके कारण ही वे साझेदार नहीं माने जासकते। दफा २४३

(५) यदि किसी मनुष्य को फर्म का गुड विल (नेकनामी) वेचने के बदले में कोई रकम साझे में से मिलती हो तो इस कारण ही वह साझेदार नहीं मान लिया जायगा। दफा २४४

(६) यदि कोई मनुष्य अपने लिखित या मौखिक शब्दों या कार्यों द्वारा किसी दूसरे को यह विश्वास दिलावे कि वह किसी फर्म में साझेदार है तो उस व्यक्ति के लिये वह साझेदार की भांति ही जिम्मेवर होगा। दफा २४५

(७) कोई भी नाबालिग साझे में फायदा उठाने के लिए सम्मिलित हो सकता है परन्तु नुकसान होने पर उसकी स्वय कोई जिम्मेवरी नहीं होती, केवल उसका साझेदारी की रकम का हिस्सा ही नुकसान का जिम्मेवर होगा। दफा २४७

(८) यदि कोई नाबालिग साझेदारी में सम्मिलित

(३) ए और बी सराफी की एक फर्म के साझेदार हैं। ए के पास कोई शख्स फर्म के खाते एक रकम जमा करता है जिसकी सूचना बी को दिये बिना वह उस रकम का गबन (उड़ा देना) Misappropriate कर देता है तो उस रकम अदायगी की ज़िम्मेवरी फर्म की होगी।

(४) ए और बी एक फर्म में साझेदार हैं। बी को दगा देने की इच्छा से ए कुछ ऐसी चीजें फर्म के खाते खरीदता है जो साधारणतया फर्म में काम आती हैं और उन्हें अपने उपयोग में ले लेता है तो फर्म उन चीजों की कीमत अदा करने की जिम्मेवार होगी। यदि चीजें बेचने वाला खुद दगे में शामिल न हुआ हो। दफा २५१

(१२) यदि किसी फर्म के साझेदारों ने आपसी इक़रार से अपने २ अधिकारों या कर्तव्यों को निश्चित कर लिया हो तो ऐसे इकरार में फिर भी परिवर्तन या उसे रद्द करना सबकी राय से ही हो सकेगा। ऐसा परिवर्तन लेख या आचरण द्वारा हो सकेगा।

उदाहरणार्थ-ए, बी और सी किसी फर्म

के मेम्बर हैं और फर्म चालू करते वक्त उनमें यह इकरार न हुआ कि नफा नुकसान बराबर बराबर बांटा जायगा। कई बरसों से फर्म चल रही है और ए को ॥) ब बी और सी ।) हिस्सा मिलता आ रहा है तो यह माना जायगा कि हिस्सों में फेरफार ॥) ।) ।) का होगया है यद्यपि इस विषय में कोई लेखी इकरार नहीं है।

(१३) यदि कोई दूसरा इकरार न हुआ हो तो साझेदारों का आपसी व्यवहार नीचे लिखे नियमों से समझा जायगा—

(१) साझेदारी की मालियत (सामान) पर सब साझेदारों का सम्मिलित (इकट्ठा) अधिकार होता है और उनका हिस्सा अपनी २ पूंजी के अनुसार होगा।

(२) सब साझेदारों का फर्म के नफे नुकसान में बराबर हिस्सा होता है।

(३) हरएक साझेदार फर्म के इन्तजाम करने का अधिकार रखता है।

(४) हर एक साझेदार को चित्त लगाकर फर्म का काम करना होगा और उसके लिये

मनादी करदी गई हो तो साझा टूट जाता है।
दफा २५५

(१६)यदि निश्चित समय तकके लिये कायम किया गया साझा अवधि पूरी होने के बाद भी चलता रहे और कोई दूसरा इकरार न हो तो साझेदारों का अधिकार और उनकी जिम्मेवरी पहिले के समान ही रहेंगी। दफा २५६

(१७)साझेदारों का कर्तव्य है कि साझेदारी के अधिक से अधिक हितके लिये साझे का कारबार चलावे,एक दूसरे के साथ सचा व्यवहार करें और साझे का पूरा २ हिसाब साझेदारों या उनके एजटों को बतलावें। दफा २५७

(१८)यदि कोई साझेदार साझेका कारबार अपने अकेले के लिये करे तो उसका हिसाब साझे की फर्म को समझाना होगा।

उदाहरण—

राम, श्याम और मोहन एक फर्म के साझेदार हैं, मोहन '"ए" नामकी एक दूसरी फर्म से इस शर्त पर कुछ कमीशन पाता है कि वह अपनी फर्म के कुल आर्डर "ए" फर्म को

दिखायगा तो मोहन को इस का हिसाब फर्म को देना होगा। दफा २५८

(१९)यदि कोई भी साझेदार दूसरे साझेदारों की इजाज़त और जानकारी के बिना कोई कारबार ऐसा करे जो फर्म के कारबार में एरकत करता हो तो उसे ऐसे कारबार में जो मुनाफा होगा इसका हिसाब फर्म को समझाना होगा।

दफा २५९

(२०)मृत साझेदार की जायदाद, अगर कोई दूसरा इकरार न हुआ हो, तो, किसी ऐसे कर्ज़े को चुकाने के लिये जिम्मेवार नहीं मानी जायगी जो कि उसकी मृत्यु के बाद फर्म ने करलिया हो, दफा २६१

(२१)जबकि किसी साझेदार को (१) फर्म के व (२) अपने निज के कर्ज़े चुकाने हों तो साझे की मालियत पहिले फर्म का कर्जा चुकाने में लगाई जासक्ती है, इसी तरह निज की मालियत से पहिले निजका कर्जा चुकाया जायगा और बाद में फर्म का। दफा २६२

दफा	जुर्म	राजीनामा योग्य है या नहीं	वारंट या समन	किस अदालत में मामला होगा	सजा की हद
१७२	समन या दीगर कार्रवाई कोर्ट अपने ऊपर तामील न होने देने के लिए छिपना	"	"	"	एक मास की सजा ५० रु० तक जुर्माना या दोनों
१७४	कोर्ट के हुक्म की तामील न करना	"	"	"	"

दफा	जुर्म	राजीनामा योग्य है या नहीं	वारंट या समन	किस अदालत में मामला होगा	सजा की हद
३५८	मारागुस्सा दिलाने से हमला या जब्र (assault)	,,	समन केस	कोई मजि०	एकमास कैद, २००) तक जुर्माना या दोनों
३७९	चोरी	नहीं	वारंट	,,	तीन वर्ष कैद या जुर्माना या दोनों
३८०	घर में चोरी	,,	,,	,,	सात वर्ष कैद, जुर्माना या दोनों
४०३ ४०६	पराई चीज हजम कर जाना	,,	,,	फर्स्टक्लास मजि० या ऊंचे	जुर्म करने वाले के अनुसार दस वर्ष तक की सजा
४२०	ठगना(दगा)	,,	,,	फर्स्टक्लास मजि०	

३३४	भारी गुस्सा दिलाने से मामूली चोट पहुँचना	राजीनामा	समन केस	कोई मजि	एक मास कैद, या ५००) जुर्माना या दोनों
३४१	किसी को बेकानूनी कायदा रोक रखना	,,	,,	,,	,,
३५२	हमला	,,	,,	,,	तीन मास कैद, जुर्माना या दोनों
३५४	किसी स्त्री पर हमला या जब्र बुरी नियत से	,,	वारंट केस	सेकें० क्लास या ऊंचे दर्जे के	दो वर्ष कैद, जुर्माना या दोनों
३५५	किसी शख्स को बेइज्जत करने की गरज से हमला	,,	,,	,,	,,

दफा	जुर्म	राजीनामा योग्य है या नहीं	वारंट या सम्मन	किस अदालत में मामला होगा	सजा की हद
३२३	जरर खफीफ (छोटी चोट)	है	वारंट केस	कोई मजि	एक वर्ष तक सजा १०००) जुर्माना या दोनों
३२४	खतरनाक चीज से छोटी चोट	कोर्ट की आज्ञा से राजीनामा	,,	सैकेण्ड क्लास मजि और ऊंचे दर्जे के	तीन साल की सजा या जुर्माना या दोनों
३२५	जरर शदीद (भारी चोट)	,,	,,	,,	सात साल की सजा या जुर्माना या दोनों

१७६	कोर्ट के सवाल का जवाब न देना	,,	,,	,,	छः महीने की कैद १०० रुपये तक जुर्माना या दोनों
१९३	झूठी गवाही देना	,,	वारंट केस	फर्स्टक्लास मजि और ऊपर	७ वर्ष तक सजा और जुर्माना या दोनों
१९७	झूठा सार्टिफिकट देना	,,	,,	,,	,,
१९९	शपथपूर्वक झूठा बयान देना	,,	,,	,,	,,
२११	झूठा मुकद्दमा करना	,,	,,	,,	,,
२७९	बेपरवाही से आम रास्ते पर गाड़ी आदि चलाना	,,	समन	कोई मजि	छह मास की कैद या (१०००) तक जुर्माना या दोनों

ताजीरात हिन्द की दफाएं

१६१ राज कर्मचारी यदि रिश्वत ले
१७० राज कर्मचारी का भेष करना
२३१ नकली सिक्का बनाना
२६४ झूठे बाट काम में लाना
२६६ खाने पीने की चीजों में कोई ऐसी चीज मिलाना जिस से वह नुकसान देने वाली हो जाय
२९२ अश्लील (चरित्र में दोष लानेवाली और बेशर्म बनाने वाली) पुस्तकें बेचना
२९३ जवानों को नौजवानों को (अश्लील) चीजें बेचना
२९४ अश्लील गाने गाना
२९५ पूजा के या पवित्र स्थान को किसी समुदाय का अपमान करने की गरज से अपवित्र करना
३०२ कत्ल (आदमी को मार डालना)
३१२ हमल (गर्भ) गिराना
३३० का य दा त कबूल कराने के लिये मारपीट करना (मारपीट करने वाला चाहे सरकारी अफसर हो या साधारण आदमी)
३७६ जिना बिल जब्र (बलात्कार)
३९२ सिरका बिल जब्र (Robbery) लूटना
३९५ डकैती
४११ चोरी की चीज बदनियती से लेना या खरीदना
४२६ पचास रु० से ज्यादा का हर्जा करना
४४७ दूसरे की स्थावर चीज पर गैर कानूनी कब्जा करना

४५२ मदाखलत बेजा बिना अधिकार प्रवेश
४६५ जाल साजी
४६६ कोर्ट के कागजों में जाल साजी करना
४८२ झूठा ट्रेडमार्क काम में लाना
४८९ (ए) झूठे नोट बनाना
४९७ व्यभिचार (विवाहिता पर स्त्री से)
५०० हतक इज्जत (मानहानि)
५०४ शांति भंग करने के लिए अपमानकर किसी को क्रोधित करना

ज़ाब्ता फौजदारी दफाए

४६ गिरफ्तारी किस तरह की जाती है
५४ पुलिस कब बिगैर वारंट गिरफ्तार कर सकती है
६८ ६९ समन किस तरह तामील होंगे पुलिस समन की तामील करती है
२४३ समन केस में अपराध कबूल करने पर सजा दी जा सकती है
२४७ समन केस में मुस्तगीस हाजिर न हो तो मुकदमा खारिज किया जा सकता है।
२५० समन केस में झूठा मुकदमा चलाने पर हर्जाना दिलाना
२५३ वारंट केस में अदम सबूत में (जुर्म न बनता हो तो) रिहा करना
२५८ वारंट केस में बरी करना या सजा देना।
५१३ मुचलके या जमानत के बदले रुपया जमा हो सकता है
५४० अदालत अपनी तरफ से गवाह सफाई बुला सकती है।

जाब्ता फौजदारी की कुछ दफाएँ जो अदालतों में प्रायः अधिक काम आती हैं—

दफा ३१ से ३५ कितनी २ सजा हाई कोर्ट, सेशन्स जज, और मजिस्ट्रेट दर्जे १, २, ३, देसकते हैं।

दफा ६८ से ८३ तक में समन और वारंट निकालने के तरीके लिखे गये हैं।

दफा १०६ से १२६ तक अमनचैन रखने व नेक चालनी की जमानतों को लिये जाने के नियम आदि का वर्णन है।

दफा २०० से २०३ तक में मजिस्ट्रेट के सामने नालिश पेश करने का तरीका है। यदि मजिस्ट्रेट मुनासिब समझे तो दफा २०२ के मुताबिक (कारण लिखकर) मुलजिम को बुलाने से इन्कार करेगा और पहिले मुस्तगी-सका साधारण सबूत लेगा कि

वास्तव में (दर असल) कोई जुर्म मुलजिम की तरफ से होना पाया जाता है या नहीं यदि जुर्म न हुआ हो तो दफा २०३ के अनुसार मुकद्दमा खारिज किया जा सकता है।

दफा २०५ के माफिक अदालत को अख्तियार है कि मुल्जिम को खुद अदालत में हाजिर होने से माफी देकर वकील के मार्फत पैरवी की इजाजत दे। इस दफा के अनुसार स्त्रियों, बहुत बुड्ढों, बीमारों आदि को माफी दी जा सकती है।

दफा २२१ से २४० तक चार्ज (फर्द जुर्म) का वर्णन है।

दफा २४१ से २५० तक समनकेस चलाने का तरीका वर्णन है।

दफा २४७ के माफिक मुल्जिम हाजिर हो परन्तु मुस्तगोस न आवे तो मुकद्दमा खारिज किया जा सकता है।

दफा २५१ से २५९ तक वरंट केस चलाने का तरीका लिखा है ।

दफा ३४४ में कोर्ट को तारीख बढ़ाने के वक्त हरजाना दिलाने का अधिकार है।

दफा ३६७ में जजमेंट (तजवीज) का हाल लिखा है ।

दफा ३८६ के अनुसार जुर्माना की हुई रकम वसूल की जासकती है ।

दफा ५६२ के अनुसार कोर्ट को अधिकार है कि सजा देने के बदले नेकचलनी का मियादी मुचलका लेकर मुलजिम को रिहा करसकती है

दफा ५२६ हाई कोर्ट केस अदालत से ट्रांसफर कर सकता है जब कि ट्रांसफर करने से सुभीता हो या न्याय के लिए आवश्यक हो।

कानून शहादत की उपयोगी दफायें

दफा १२५ किसी भी मजिस्ट्रेट या पुलिस अफसर को यह बात जाहिर करने के लिये बाध्य नहीं किया जाना चाहिये कि उसे किसी जुर्म की इत्तला कैसे मिली।

दफा १४१-१४२ गवाह के बयान लेते समय उसे लीडिंग (पथ प्रदर्शन करने वाले) प्रश्न नहीं पूछना चाहिये। जिरह में पूछ सकते हैं।

दफा १४५ किसी गवाह के पहिले दिये हुए बयान के सम्बन्ध में प्रश्न किये जा सकते हैं परन्तु उसका खण्डन करना हो तो वे लिखे बयान बतला देना चाहिये।

दफा १४६ जिरह करने में जो सवालात पूछे जा सकते हैं उनका बयान दफा में दिया है।

दफा १४९ १५० ऐसे प्रश्न जिनसे गवाह के विश्वासपात्र न होने के सम्बन्ध में कोई बात मालूम होती हो वह बिना कारण नहीं पूछी जानी चाहिये अकारण ही पूछने पर वकील के विरुद्ध हाई कोर्ट में रिपोर्ट की जा सकती है।

दफा १५१-१५२ कोर्ट चाहे तो अश्लील प्रश्न पूछने से मनाही कर सकता है। इसी प्रकार मोह न पहुने या अपमान करने के लिये किये हुए प्रश्नों को भी रोक सकता है।

दफा १५४ अदालत किसी पक्षकार को अपने ही गवाह से जिरह करने की इजाजत दे सकती है अगर वह उसके विरुद्ध हो।

दफा १५६ जिससे किसी बयान की पुष्टि होती हो ऐसे सवालात भी पूछे जा सकते हैं।

दफा १५७ अगर किसी गवाह के आचरण आदि के सम्बन्ध में पहिले सबूत हो गया हो तो बाद में उसके आचरण आदि का समर्थन करने के लिए सबूत लिया जा सकता है।

दफा १५८-१५९ गवाह अपनी यादद्दाश्त के लिये कोई कागज या डायरी वगैरह को देख सकता है।

दफा १६५ अदालत को अधिकार है कि वह किसी भी गवाह से या पक्षकार से किसी बात के सम्बन्ध में, चाहे प्रासंगिक हो अथवा अप्रासंगिक, कोई भी प्रश्न पूछ सकता है और उसपर कोर्ट की इजाजत से जिरह हो सकती है।

परिशिष्ट

ताजीरात हिंद दफा ६७ के अनुसार ५०) जुर्माने के बदले २ माह की जेल और १००) रु० जुर्माने के बदले ४ मास की कैद की सजा दी जा सकती है, अगर जुर्माना दाखिल न करे।

(व्याख्या दफा ४०)

ज़ाब्ता फौजदारी द० २४५-रिहा (डिसचार्ज) करने का बयान है। चार्ज लेने से पहले ही छोड़ देने को रिहा या डिसचार्ज होना कहते हैं। चार्ज लेने के बाद छोड़ने को एक्वीटल या बरी होना कहते हैं।

जा० फौ० दफा २५० के अनुसार निराधार झूठे मामले में ५० या १०० रुपये तक हर्जाना कोई भी मजिस्ट्रेट दिला सकता है।

पक्षकार	पक्षवाला
पूर्वज	पुरखा
पैतृक ऋण	बाप का लिया हुआ कर्ज
प्रतिवादी	मुद्दालह (Defendant)
फरीक	गुट या मुद्दायला
फरीकेन	(फरीक का बहुवचन)
बमुजिब	मुताबिक, अनुसार
बलवा	विद्रोह
बाहमी	आपसी
बेवा	विधवा
भांति	प्रकार
मजकूर	उल्लिखित, उपरोक्त ऊपर लिखा हुआ
मजबूर	लाचार, विवश
मजहबी	धार्मिक, धर्मसम्बन्धी
मरहमत करना	भेजना
मशीयुन	प्रार्थी
मुआफ	माफ, क्षमा
मुकम्मिल	पक्का
मुकिर	इकरार करने वाला
मुद्दई	वादी (Plaintiff)
मुन्तकिल	स्थानान्तर (Transfer)
मुर्सल	भेजना
मुश्तरका	अविभक्त, शामिल शरीक
मृत	मरा हुआ
रस्म	रिवाज